


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार
(अप्रत्यक्ष कर-सीमाशुल्क)
(अनुपालन लेखापरीक्षा)
2009-10 की संख्या 14

विषयसूची

	अध्याय	पृष्ठ
प्राक्कथन		iii
कार्यकारी सार		v
शब्दों और संक्षेपों की शब्दावली		vii
सीमाशुल्क प्राप्तियां	I	1
शुल्क छूट योजनाएं	II	9
सीमाशुल्क का गलत निर्धारण	III	29
छूटें	IV	40
वर्गीकरण	V	46
अतिरिक्त शुल्क का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	VI	55



प्राक्कथन

मार्च 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

राजस्व प्राप्तियों - संघ सरकार के अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अंतर्गत की जाती है।

इस प्रतिवेदन में सीमाशुल्क की प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अभ्युक्तियों का चयन 2008-09 के दौरान की गई नमूना जांच तथा पूर्व वर्षों में ध्यान में आए परन्तु पूर्व प्रतिवेदनों में शामिल न किए गए निष्कर्षों से किया गया है।



कार्यकारी सार

इस प्रतिवेदन में 112 पैराग्राफों को अन्तर्विष्ट करते हुए 54.09 करोड़ रूपए का कुल राजस्व निहितार्थ शामिल है। मंत्रालय/विभाग ने जनवरी 2010 तक 31.64 करोड़ रूपए के धन मूल्य सहित 80 पैराग्राफों (71 प्रतिशत पैराग्राफ शामिल किए गए) में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार कर ली हैं। जनवरी 2010 तक लेखापरीक्षा के कहने पर की गई कुल वसूली 16.54 करोड़ रूपए है।

अध्याय I: सीमा शुल्क प्राप्तियां

➤ 2008-09 के लिए बजट अनुमान 1,18,930 करोड़ रूपए और संशोधित अनुमान 1,08,000 करोड़ रूपए था। तथापि, 99,879 करोड़ रूपए का कुल संग्रहण बजट और संशोधित दोनों अनुमानों से कम रह गया क्योंकि कुछ प्रमुख पण्यों के लिए शुल्क की दरें घटा दी गई थी।

{पैराग्राफ 1.1 एवं 1.3}

➤ वर्ष 2008-09 के दौरान विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत छोड़ा गया शुल्क 61,174 करोड़ रूपए था जो सीमाशुल्क की कुल प्राप्तियों का लगभग 61 प्रतिशत था।

{पैराग्राफ 1.4.1}

➤ सीमाशुल्क प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में वर्ष 2008-09 के दौरान सीमाशुल्क के संग्रहण पर किया गया व्यय, पिछले वर्ष में किए गए व्यय से अधिक था।

{पैराग्राफ 1.5}

➤ विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 के अन्त में 5,136.29 करोड़ रूपए का सीमाशुल्क नहीं उगाहा गया था। इसमें से 1,947.81 करोड़ रूपए की राशि की अविवादित होने के बावजूद दस से अधिक वर्षों से वसूली नहीं की गई थी।

{पैराग्राफ 1.6.2}

अध्याय II: शुल्क छूट योजनाएं

➤ 24.30 करोड़ रूपए का राजस्व उन निर्यातकों/आयातकों से प्राप्य था जिन्होंने शुल्क छूट योजनाओं का लाभ तो उठाया था परन्तु निर्धारित दायित्व/शर्तें पूरी नहीं की थी।

{पैराग्राफ 2.1 से 2.7}

अध्याय III: सीमाशुल्क का गलत निर्धारण

➤ लेखापरीक्षा में कुल 10.50 करोड़ रूपए के सीमाशुल्क के गलत निर्धारण का पता चला था। ये निर्धारण मुख्यतः एन्टी-डम्पिंग शुल्क के अनुद्ग्रहण, प्रदत्त

फिरती की वसूली न करने, गलत निर्धार्य मूल्य अपनाने, राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क के अनुद्ग्रहण आदि के कारण हुए थे।

{पैराग्राफ 3.1 से 3.12}

अध्याय IV: छूटें

➤ छूट अधिसूचनाएं गलत लागू करने के कारण 9.72 करोड़ रूपए का शुल्क कम उद्ग्रहीत किया गया था।

{पैराग्राफ 4.1 से 4.3 }

अध्याय V: वर्गीकरण

➤ 24 मामलों में माल के गलत वर्गीकरण के कारण 7.05 करोड़ रूपए का शुल्क कम उद्ग्रहीत किया गया था।

{पैराग्राफ 5.1 से 5.11 }

अध्याय VI: अतिरिक्त शुल्क का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

➤ 52 आयातकों द्वारा आयातित माल पर कुल 2.52 करोड़ रूपए का अतिरिक्त शुल्क उद्ग्रहीत नहीं किया गया था अथवा कम उद्ग्रहीत किया गया था।

{पैराग्राफ 6.1 से 6.3 }

शब्दों और संक्षेपणों की शब्दावली

पूरा रूप	संक्षेपित रूप
एडवांस लाइसेंसिंग कमेटी	एएलसी
मूल सीमा शुल्क	बीसीडी
आगम पत्र	बीई
सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष	सीटीएच
केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड	सीबीईसी
केन्द्रीय उत्पादशुल्क टैरिफ शीर्ष	सीईटीएच
कंटेनर भाड़ा स्टेशन	सीएफएस
लागत बीमा भाड़ा	सीआईएफ
केन्द्रीय उत्पादशुल्क आयुक्तालय	आयुक्तालय
प्रतिकारी शुल्क	सीवीडी
सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क एवं सेवा कर अपील अधिकरण	सीईएसटीएटी
महानिदेशक विदेशी व्यापार	डीजीएफटी
शुल्क छूट पास बुक	डीईपीबी
शुल्क मुक्त क्रेडिट हकदारी प्रमाण पत्र	डीएफसीईसी
शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाण पत्र	डीएफआरसी
एक्साइज़ लॉ टाइम्स	ईएलटी
निर्यात बाध्यता	ईओ
निर्यातान्मुख इकाई	ईओयू
निर्यात निष्पादन	ईपी
निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल	ईपीसीजी
निर्यात संवर्धन ज़ोन	ईपीजेड
पोत पर्यन्त निःशुल्क	एफओबी
विदेश व्यापार नीति	एफटीपी
माल परिवहन एजेन्सी	जीटीए
क्रियाविधि की पुस्तिका	एचबीपी
हाई स्पीड डीज़ल	एचएसडी
सुमेलित नामावली प्रणाली	एचएसएन
महा समुद्र बिक्री	एचएसएस
अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो	आईसीडी
संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार	जेडीजीएफटी
अनुमति पत्र	एलओपी
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क	एनसीसीडी
निर्यात की प्रतिशतता के रूप में निवल विदेशी विनिमय आय	एनएफईपी
नॉन टैरिफ	एनटी
समुद्री गैस तेल	एमजीओ

क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी	आरएलए
खुदरा बिक्री कीमत	आरएसपी
कारण बताओ नोटिस	एससीएन
भारतीय योजना से सेवित	एसएफआईएस
साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क	एसटीपी
लक्ष्य जमा योजना	टीपीएस
वित्त मंत्रालय	मंत्रालय
विशेष कृषि ग्रामोद्योग योजना	वीकेजीयूवाई
मूल्य वर्द्धित कर	वीएटी
निर्यात बकाया विवरण	एक्सओएस

अध्याय I सीमाशुल्क प्राप्तियां

1.1 बजट अनुमान, संशोधित बजट अनुमान और वास्तविक प्राप्तियां

वर्ष 2004-05 से 2008-09 के दौरान सीमाशुल्क के बजट अनुमानों, संशोधित बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों को नीचे तालिका तथा ग्राफ में दर्शाया गया है:-


तालिका सं. 1

(राशि करोड़ रूपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां *	वास्तविक प्राप्तियों तथा बजट अनुमानों के बीच अन्तर	प्रतिशतता अन्तर
2004-05	54,250	56,250	57,610	3,360	6.19
2005-06	53,182	64,215	65,067	11,885	22.35
2006-07	77,066	81,800	86,327	9,261	12.02
2007-08	98,770	1,00,766	1,04,119	5,349	5.42
2008-09	1,18,930	1,08,000	99,879	(-) 19,051	(-)16.02


* आंकड़े वित्त लेखाओं के अनुसार

ग्राफ 1 : सीमाशुल्क प्राप्तियां - बजट, संशोधित तथा वास्तविक



2004-05 से 2007-08 के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ बजट और संशोधित अनुमान दोनों से अधिक थीं। तथापि, वास्तविक संग्रहण मुख्यतः कच्चे तेल और वनस्पति तेल जैसी बड़ी मदों के लिए शुल्क दरों में कटौतियों के कारण 2008-09 में बजट और संशोधित अनुमान दोनों से कम पड़ गया। 2004-05 से 2008-09 तक के वर्षों के दौरान बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता भिन्नता निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाई गई है:-

ग्राफ 2 : बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों की प्रतिशतता भिन्नता



1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

कुल वर्षवार आयातों की 2004-05 से 2008-09 के दौरान संग्रहीत तदनुसूची निवल आयात के साथ एक तुलना नीचे तालिका में दिखाई गई है:-

तालिका सं. 2


(राशि करोड़ रूपए में)

वर्ष	आयातों का मूल्य*	आयात शुल्क*	आयातों के मूल्य की प्रतिशतता के रूप में आयात शुल्क
2004-05	5,01,065	56,745	11.32
2005-06	6,60,409	64,201	9.72
2006-07	8,40,506	85,440	10.17
2007-08	10,12,312	1,00,635	9.94
2008-09	13,05,503	94,583	7.25

स्रोत * निदेशालय, डाटा प्रबन्धन, नई दिल्ली

जबकि आयातों के मूल्य में पिछले पांच वर्षों में 116 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है तथापि तदनुसूची आयात शुल्क 67 प्रतिशत तक बढ़ गया था।

ग्राफ 3 : आयात के मूल्य की प्रतिशतता के रूप में आयात शुल्क



1.3 प्रमुख आयात शुल्क उपार्जित करने वाले पण्य

वर्ष 2007-08 के तदनुसूची आंकड़ों सहित वर्ष 2008-09 के दौरान प्रमुख आयात शुल्क उपार्जित करने वाले पण्य निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित हैं:

तालिका सं. 3

(राशि करोड़ रूपए में)

क्र. सं.	बजट शीर्ष सं.	पण्य	उगाहा गया आयात शुल्क		2007-08 की तुलना में 2008-09 में प्रतिशतता भिन्नता	संग्रहीत कुल उत्पाद शुल्क में प्रतिशतता अंश	
			2007-08	2008-09		2007-08	2008-09
1.	7	कच्चा तेल	9053.82	2767.93	(-)69	09	03
2.	52	सोना	847.80	673.66	(-)21	01	01
3.	10,11,17	रसायन	8346.10	8617.32	03	08	09
4.	9	अन्य खनिज ईंधन, तेल, मोम	2229.23	2576.91	16	02	03
5.	28 से 32	लोहा और स्टील	8155.92	8635.81	06	08	09
6.	8	परिष्कृत पेट्रोलियम तेल	6862.59	5829.33	(-)15	07	06

7.	6	अयस्क, धातु-मल और भस्मी	2061.68	1697.18	(-18	02	02
8.	18	प्लास्टिक	3875.23	3752.88	(-03	04	04
9.	20	पेपर, अयस्क-पल्प आदि	1193.41	1167.56	(-02	01	01
10	3	वनस्पति तेल	3554.96	343.82	(-90	04	0.5

स्रोत-निदेशालय, डाटा प्रबन्धन, नई दिल्ली

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि प्रमुख पण्यों पर आयात शुल्क के संग्रहण में समग्र गिरावट थी। पण्य "वनस्पति तेल" ने राजस्व (पिछले वर्ष की तुलना में) की भारी गिरावट (90 प्रतिशत) दिखाई थी, जबकि कच्चे तेल से सीमा शुल्क राजस्व वर्ष 2008-09 के दौरान 69 प्रतिशत तक गिर गया था। परिणामस्वरूप कुल आयात शुल्क के प्रति कच्चे तेल की प्रतिशतता छः प्रतिशत तक गिर गई है।

1.4 छोड़ा गया शुल्क

1.4.1 निर्यात संवर्धन योजनाएं

2005-06 से 2008-09 तक की अवधि के लिए अनेक निर्यात संवर्धन योजनाओं अर्थात अग्रिम लाइसेन्स, डीईपीबी, ईपीसीजी, ईपीजेड, ईओयू पर छोड़े गए सीमा शुल्क का विवरण और फिरती तथा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत शुल्क के प्रतिदाय निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं:-

तालिका सं. 4

(राशि करोड़ रूपए में)

वर्ष	संग्रहीत सीमाशुल्क	अग्रिम लाइसेंस और अन्य*	ईओयू/एसटीपी	शुल्क फिरती	ईपीसीजी	डीईपीबी	एसई जेड	जोड (का. 3 से 8 तक)	सीमाशुल्क प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में छोड़ा गया शुल्क (का. 2 की प्रतिशतता की तुलना में का. 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2005-06	65,067	13,361	10,278	3,235	5,333	5,651	2,471	40,329	62
2006-07	86,327	23,596	10,948	6,057	9,069	4,789	1,654	56,133	65
2007-08	1,04,119	20,481	18,759	9,015	8,933	4,986	1,848	64,022	62
2008-09	99,879	18,403	13,401	12,116	7,833	7,092	2,329	61,174	61

* इनमें डीएफआरसी/डीएफईसीसी/टीपीएस/वीकेयूवाई/डीएफआईए/ फोकस उत्पाद योजनाएं शामिल हैं।

स्रोत- निदेशालय, डाटा प्रबन्धन, नई दिल्ली

1.4.2 छोड़ा गया अन्य शुल्क

2005-06 से 2008-09 तक के दौरान सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) और (2) के अन्तर्गत छोड़ा गया शुल्क (पैरा 1.4.1 के अनुसार निर्यात संवर्धन योजनाओं से इतर) निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका सं. 5

(राशि करोड़ रूप में)

वर्ष	25(1)* के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाओं की संख्या	25(2)** के अन्तर्गत जारी कुल अधिसूचनाओं की संख्या	जारी अधिसूचनाओं की कुल संख्या	25(1)* के अन्तर्गत छोड़ा गया शुल्क	25(2)** के अन्तर्गत छोड़ा गया शुल्क	छोड़ा गया कुल शुल्क
2005-06	29	49	78	40,667	15	40,682
2006-07	453	7	460	28,394	99	28,493
2007-08	317	38	355	28,060	505	28,565
2008-09	62			विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया		

* सामान्य छूट ** तदर्थ छूट

स्रोत- निदेशालय, डाटा प्रबन्धन, नई दिल्ली

1.5 सीमाशुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत

सीमाशुल्क प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में वर्ष 2008-09 के दौरान सीमाशुल्क के संग्रहण पर किया गया व्यय पिछले वर्ष में किए गए व्यय की तुलना में अधिक था जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका सं. 6

(राशि करोड़ रूप में)

	2007-08	2008-09
राजस्व एवं आयात/निर्यात और व्यापार नियंत्रण कार्यों पर व्यय	165.40	234.56
निरोधी और अन्य कार्यों पर व्यय	759.71	989.28
आरक्षित निधि, निक्षेप लेखा और अन्य व्यय को अंतरण	13.91	11.65
जोड़	939.02	1235.49
सीमा शुल्क प्राप्ति	1,04,119	99,879
सीमा शुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में संग्रहण की लागत	0.90	1.24

* आंकड़े वित्त लेखाओं के अनुसार

1.6 बकाया सीमाशुल्क

1.6.1 31 मार्च 2009 तक निर्धारित सीमाशुल्क की राशि, जो 31 दिसम्बर 2009 तक अभी उगाही जानी थी, 6,839.84 करोड़ रूप थी।

1.6.2 मार्च 2009 तक मांगे गए 5,136.29 करोड़ रूपए के सीमाशुल्क राजस्व की वित्तीय वर्ष 2008-09 के अन्त तक विभाग द्वारा उगाही नहीं की गई थी। इसमें से 1,947.81 करोड़ रूपए की राशि अविवादित थी। तथापि, इस राशि की भी दस वर्षों से अधिक की अवधि तक वसूली नहीं की गई थी। विभाग के वसूली तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। सूचना निम्नतालिका में संक्षिप्त रूप से दी गई है:

तालिका सं. 7

(राशि करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	कमिश्नरी	विवादास्पद राशि			अविवादित राशि			कुल जोड़
		पांच वर्षों से अधिक परन्तु दस वर्षों से कम	दस वर्षों से अधिक	जोड़	पांच वर्षों से अधिक परन्तु दस वर्षों से कम	दस वर्षों से अधिक	जोड़	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	1602.05	484.11	2086.16	994.88	283.91	1278.79	3364.95
2.	सीमा शुल्क	752.96	282.60	1035.56	409.39	239.36	648.75	1684.31
3.	सेवा कर	66.38	0.38	66.76	20.12	0.15	20.27	87.03
	जोड़	2421.39	767.09	3188.48	1424.39	523.42	1947.81	5136.29

स्रोत- केन्द्रीय, उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, नई दिल्ली

1.7 सीमांकन द्वारा बाधित शुल्क की मांगें

केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, के साथ लम्बे अनुसरण के बावजूद बाधित मांगों के आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

1.8 बट्टे खाते डाला गया शुल्क

बट्टे खाते डाले गए सीमाशुल्क, माफ की गई शास्तियों तथा किए गए अनुग्रहपूर्वक भुगतानों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

तालिका सं. 8

(राशि करोड़ रूपए में)

वर्ष	राशि
2005-06	43.41
2006-07	247.73
2007-08	100.54
2008-09	विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए

स्रोत- केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

इस प्रतिवेदन में 54.09 करोड़ रूपए के राजस्व प्रभाव सहित 112 लेखापरीक्षा पैराग्राफ हैं, जिनका अलग-अलग अथवा समूह में एक साथ उल्लेख किया गया है। मंत्रालय/विभाग ने 80 पैराग्राफों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ स्वीकार की हैं जिनमें 31.64 करोड़ रूपए का राजस्व अन्तर्ग्रस्त है। 112 पैराग्राफों में से 14.29 करोड़ रूपए के राजस्व वाले 41 मामलों को प्रत्येक अध्याय में प्रकट "अन्य मामले" शीर्षक के अन्तर्गत समूहित किया गया है। इनमें 20 स्वीकृत मामले (80में से) शामिल हैं, जहाँ मंत्रालय/विभाग द्वारा पूर्ण उपचारी कार्रवाई की गई है। शेष 71 पैराग्राफ जिनमें 39.80 करोड़ रूपए का राजस्व अन्तर्ग्रस्त है, को अलग-अलग करके रिपोर्ट किया गया है। मंत्रालय/विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के उत्तर में 12.46 करोड़ रूपए सहित जहाँ पूर्ण उपचारी कार्रवाई कर ली गई है, कुल 14.43 करोड़ रूपए की वसूली की है।

लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए लेकिन इस प्रतिवेदन में न दर्शाए गए कम निर्धारण के 21 अन्य मामलों में विभाग के क्षेत्र फोर्मेशनों ने अभ्युक्तियाँ स्वीकार की और 2.11 करोड़ रूपए की समग्र कम उगाही की वसूली सूचित की। इन मामलों के संक्षिप्त विवरण मंत्रालय को अलग से मुहैया कराए गए हैं। इस प्रकार जनवरी 2010 तक लेखापरीक्षा के बताए जाने पर मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रभावित कुल वसूली 16.54 करोड़ रूपए है।

1.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रभाव/अनुवर्तन

1.10.1 राजस्व प्रभाव

पिछले पांच वर्षों (चालू वर्ष के प्रतिवेदन सहित), के दौरान 843 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में कुल 693.70 करोड़ रूपए की अभ्युक्तियों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किया गया था। इनमें से सरकार ने 707 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार किया था (जनवरी 2010 तक) जिनमें 274.85 करोड़ रूपए अन्तर्ग्रस्त थे और 68.19 करोड़ रूपए की वसूली की थी। विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए हैं।

तालिका सं. 9

(राशि करोड़ रूपए में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	शामिल किए गए पैराग्राफ		स्वीकार किए गए पैराग्राफ						प्रभावित वसूलियाँ					
			मुद्रण से पूर्व		मुद्रण के पश्चात		जोड़		मुद्रण से पूर्व		मुद्रण के पश्चात		जोड़	
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
2004-05	256	355.79	178	45.41	76	17.41	254	62.82	122	4.13	77	9.95	199	14.08
2005-06	139	63.22	74	25.92	38	6.84	112	32.76	49	11.69	36	5.93	85	17.62
2006-07	133	121.99	94	105.18	7	2.24	101	107.42	57	7.32	20	1.86	77	9.18
2007-08	182	96.50	137	37.83	2	0.27	139	38.10	80	9.85	2	0.92	82	10.77
2008-09	133	56.20	101	33.75	लागू नहीं		101	33.75	68	16.54	लागू नहीं		68	16.54
जोड़	843	693.70	584	248.09	123	26.76	707	274.85	376	49.53	135	18.66	511	68.19

1.10.2 की गई कार्रवाई टिप्पणियों की स्थिति

लोक लेखा समिति ने अपने नवम प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोक सभा) में इच्छा व्यक्त की थी कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सभी पैराग्राफों पर कार्रवाई टिप्पणियां (एटीएन), जिनकी लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जांच कर ली गई है, संसद में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के रखने की तिथि से चार महीनों की अवधि के अन्दर उन्हें प्रस्तुत कर दी जाएं।

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफों पर बकाया कार्रवाई टिप्पणियों की समीक्षा से पता चला कि मंत्रालय ने इन 136 पैराग्राफों के सम्बन्ध में उपचारी कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की थी। इनमें से सबसे पहला पैराग्राफ वर्ष 1996-97 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से था। निम्न तालिका लम्बित एटीएन को दर्शाती है।

तालिका सं. 10

क्रम सं.	अवधि जब से एटीएन लम्बित हैं	लेखापरीक्षा पैराग्राफों की संख्या
1	1 वर्ष तक	69
2	1-3 वर्ष	42
3	3-5 वर्ष	8
4	5 वर्षों से अधिक	17
	जोड़	136

अध्याय II शुल्क छूट योजनाएं

सरकार अधिसूचना के माध्यम से एक निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रयोज्य सामग्री तथा पूंजीगत माल के आयात के लिए सम्पूर्ण या आंशिक सीमाशुल्क से छूट दे सकती है। ऐसे शुल्क मुक्त माल के आयातक कतिपय निर्यात बाध्यताओं (ईओ) तथा विशिष्ट शर्तों का अनुपालन पूरा करने के लिए वचनबद्ध होते हैं, जिसकी विफलता में लागू सामान्य शुल्क देय होता है। कुछ निदर्शी मामले, जहाँ ईओ/शर्तों को पूरा किए बिना शुल्क छूटें ली गई थीं, पर निम्न पैराग्राफों में चर्चा की गई है। इन मामलों में कुल राजस्व विवक्षा 24.30 करोड़ रूपए थी। ये आपत्तियां 42 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को सूचित की गई थीं। मंत्रालय/विभाग ने 14.07 करोड़ रूपए के राजस्व विवक्षा वाले 31 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर लीं (जनवरी 2010 तक) जिसमें से 3.53 करोड़ रूपए वसूल कर लिए गए हैं।

2.1 निर्यातोन्मुख इकाईयाँ (ईओयू)/निर्यात संसाधन क्षेत्र (ईपीजेड) योजना

डीटीए निकासियों पर शिक्षा उपकर का कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण

वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 91, 92 और 94 के अनुसार 9 जुलाई 2004 से आयातित और देशज माल पर शिक्षा उपकर लगाया गया था। इसका उद्ग्रहण (i) अतिरिक्त सीमाशुल्क (सीवीडी) और (ii) कुल सीमाशुल्क जिसमें मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) एवं सीवीडी जमा उपर्युक्त (i) पर सीवीडी पर सीमाशुल्क शिक्षा उपकर शामिल हैं पर दो चरणों में सीमाशुल्क (सीमाशुल्क शिक्षा उपकर) के रूप में आयातों पर किया जाता है। इसका उद्ग्रहण कुल उत्पाद शुल्क पर समान दर पर उत्पाद शुल्क योग्य माल की निकासियों पर उत्पाद शुल्क (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शिक्षा उपकर) के रूप में भी किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3(1) के अनुसार घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई (ईओयू) द्वारा माल की ब्रिकी के मामले में कुल उत्पाद-शुल्क सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत उद्ग्रह्य कुल सीमाशुल्क के बराबर होगा जैसे कि माल का आयात भारत में किया गया हो। इस प्रकार, सीमाशुल्क जिसमें बीसीडी, सीवीडी तथा उपर्युक्त (i) और (ii) पर दो चरणों में शिक्षा उपकर शामिल हैं, उत्पाद शुल्क के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की पूर्वोक्त धारा 3(1) के अनुसार संग्रहीत किया जाने वाला कुल सीमाशुल्क होगा और इस पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शिक्षा उपकर उद्ग्रह्य है।

2.1.1 विकास आयुक्त (डीसी), "फाल्टा स्पेशल इकोनोमिक जोन (एफएसईजेड)" के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत मैसर्स साउथ एशियन पेट्रोकेम लिमिटेड और मैसर्स मानकसिया लिमिटेड दो ईओयू ने विदेशी व्यापार नीति (एफटीपी) 2004-09 के पैराग्राफ 6.8 के

साथ पठित अधिसूचना सं. 23/2003-सीशु दिनांक 1 मार्च 2006 के अनुसार रियायती बीसीडी का लाभ उठाते हुए वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान डीटीए में अपना माल (पीईटी रेजीन और ऐलुमिनियम की फायल्स/कॉइल्स/शीट्स) बेचा। माल की निकासी उपर्युक्त दो चरणों में बीसीडी, सीवीडी और सीमाशुल्क शिक्षा उपकर का भुगतान करते हुए की गई थी। तथापि, जैसा कि ऊपर उल्लिखित है चरण (ii) पर शिक्षा उपकर को कुल उत्पाद शुल्क, जिस पर वित्त अधिनियम, 2004 के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क शिक्षा उपकर भी उद्ग्राह्य था के रूप में उसका संग्रह करते समय कुल सीमाशुल्क की गणना के लिए हिसाब में नहीं लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप 1.01 करोड़ रूपए के शिक्षा उपकर का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (जून 2008), विभाग ने कम उद्ग्रहीत शिक्षा उपकर की वसूली के लिए ईओयू को दो कारण बताओ नोटिस जारी किए (नवम्बर/दिसम्बर 2008)। आगे की प्रगति सूचित नहीं की गई है (जनवरी 2010)।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (अगस्त 2009); उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

2.1.2 सान्ताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन (एसईईपीजेड), मुम्बई के अन्तर्गत एक ईओयू मैसर्स जैन इरिगेशन सिस्टमस, जलगाँव के "सूक्ष्म सिंचाई उत्पादों/प्रणालियों सहित निष्कासित, मोल्डिड और निर्मित प्लास्टिक माल" के विनिर्माण के लिए मार्च 2006 में "अनुमति पत्र (एलओपी)" जारी किया गया था। ईओयू ने अप्रैल 2005 से मार्च 2008 तक की अवधि के दौरान घरेलू टैरिफ क्षेत्र (डीटीए) में माल की निकासी की थी जिसका मूल्य 191.15 करोड़ रूपए था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि माल की निकासी उपर्युक्त दो चरणों में बीसीडी, सीवीडी और सीमाशुल्क शिक्षा उपकर का भुगतान करते हुए की गई थी। तथापि, शिक्षा उपकर का उद्ग्रहण कुल उत्पाद-शुल्क जिस पर वित्त अधिनियम, 2004 के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क शिक्षा उपकर भी उद्ग्राह्य था के रूप में उसका उद्ग्रहण करते समय कुल सीमाशुल्क पर नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 86.95 लाख रूपए के शिक्षा उपकर का कम उद्ग्रहण हुआ।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (सितम्बर 2009); उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

2.1.3 एसईईपीजेड, मुम्बई के अन्तर्गत एक ईओयू मैसर्स रेस्पॉन्सिव इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, को "पीवीसी विनायल फ्लोरिंग/पीवीसी लेदर क्लार्थ/पीवीसी फिल्म शीट आदि के विनिर्माण के लिए फरवरी 2002 में एलओपी जारी किया गया था। ईओयू ने अप्रैल 2005 से मार्च 2008 तक की अवधि के दौरान 177.79 करोड़ रूपए मूल्य के डीटीए में माल की निकासी की थी।

डीटीए में निकासी करने के लिए 100 प्रतिशत ईओयू द्वारा प्रदत्त शुल्क उत्पाद-शुल्क था, शिक्षा उपकर और उच्चतर शिक्षा उपकर देय था। डीटीए विक्री बीजकों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि कुल शुल्क अर्थात् निकाले गए उत्पाद शुल्क पर शिक्षा उपकर अदा नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कुल 57.88 लाख रूपए के शिक्षा उपकर का अनुद्ग्रहण हुआ।

मामला बताए जाने पर (फरवरी 2009), विभाग ने बताया (मई 2009) कि जनवरी 2008 से फरवरी 2008 तक के माह के लिए और आगामी अवधियों के लिए भी इकाई को "कारण बताओ नोटिस (एससीएन)" जारी किए गए हैं। तथापि, विभाग ने यह भी बताया कि एससीएन परिसीमन की विस्तारित अवधि को कवर करते हुए जारी नहीं किया जा सका क्योंकि लाइसेंसी समय-समय पर अधिसूचना सं. 23/2003 सीशु दिनांक 31 मार्च 2003 के अन्तर्गत लाभ उठा रहा है।

विभाग को सूचित किया गया था (जून 2009) कि उसका तर्क मान्य नहीं था क्योंकि ईओयू के मामले में विभाग ईओयू द्वारा निष्पादित बॉण्ड के प्रावधानों को लागू करते हुए विस्तारित अवधि के लिए माँग उद्भूत कर सका। उसकी आगामी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी (जनवरी 2010)।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (अक्टूबर 2009); उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

2.1.4 सूरत -II केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कमिश्नरी के अन्तर्गत आने वाली मैसर्स मेघमणी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एग्रो डिवीजन, इकाई-II), एक 100 प्रतिशत ईओयू ने मई 2005 और अप्रैल 2007 के मध्य की गई 46.44 करोड़ रूपए की डीटीए निकासियों पर 7.60 करोड़ रूपए के उत्पाद-शुल्क का भुगतान किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि शिक्षा उपकर संग्रहीत उत्पाद शुल्क पर उद्ग्रहीत नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 16.33 लाख रूपए के शिक्षा उपकर का अनुद्ग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (अगस्त 2008), विभाग ने सूचित किया (मार्च 2009) कि मई 2005 से जनवरी 2008 की अवधि के लिए 32.65 लाख रूपए के शिक्षा उपकर की माँग करते हुए आयातक को एक एससीएन जारी किया गया है। आगे की प्रगति सूचित नहीं की गई है (जनवरी 2010)।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (सितम्बर 2009); उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

"केन्द्रीय बिक्री कर" की गलत प्रतिपूर्ति

एफटीपी 2004-09 के पैराग्राफ 6.11 (सी) के अनुसार ईओयू माल के उत्पादन के लिए डीटीए से की गई खरादारियों पर "केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी)" की प्रतिपूर्ति की हकदार हैं। क्रियाविधि की पुस्तिका (एचबीपी) खण्ड -1 के परिशिष्ट 14-I-I के खण्ड 2 (ए) के अनुसार प्रतिपूर्ति की स्वीकार्यता इस शर्त के अधीन है कि ईओयू डीटीए से आपूर्तियों का उपयोग निर्यात के लिए उद्दिष्ट माल के उत्पादन और/अथवा निर्यात उत्पादों के लिए उपयुक्त माल के लिए किया जाना चाहिए।

2.1.5 डीसी, एफएसईजेड, कोलकाता (वायुपत्तन) कमिश्नरी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत कार्यरत मैसर्स साउथ एशियन पैट्रोकेम लिमिटेड और दो अन्य ईओयू को 2005-06 और 2007-08 के मध्य पीईटी रेजीन/हवाई चप्पल शीट, कॉयल और एलुमीनियम की राख के उत्पादन में इन निर्धारितियों द्वारा अधिप्राप्त और प्रयुक्त कच्ची सामग्री/उपभोज्य सामग्री पर 10.46 करोड़ रूपए की राशि के सीएसटी की प्रतिपूर्ति प्रदान की गई थी। तथापि, इस राशि में डीटीए में तैयार उत्पाद बैंक की बिक्री पर 3.67 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति भी शामिल थी। इसके परिणामस्वरूप 3.67 करोड़ रूपए की राशि के सीएसटी की अधिक प्रतिपूर्ति हुई।

इसे बताए जाने पर (अगस्त 2009), एफएसईजेड प्राधिकारियों की टिप्पणियों से सहमत होते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2009) कि एफटीपी ने भारत में विनिर्मित माल की अधिप्राप्ति पर सीएसटी की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी और डीटीए में निकासी किए गए माल पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया था कि एचबीपी के परिशिष्ट 14-I-I के खण्ड 2(ए) में "निर्यात के लिए उद्दिष्ट" न कि वास्तविक निर्यात सूक्ति का उपयोग किया गया था। उसने यह भी बताया कि कथित खंड में "निर्यात के लिए उद्दिष्ट" और "निर्यात उत्पादन के लिए प्रयुक्त" के मध्य अभिव्यक्ति "और/अथवा" का उपयोग दर्शाता था कि निर्यात के लिए अभिप्रेत माल के विनिर्माण के लिए देशज कच्ची सामग्री का उपयोग सीएसटी की प्रतिपूर्ति का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त था।

एफएसईजेड ने बताया कि परिशिष्ट 14-I-I के पॉलिसी पैराग्राफ 2(ए) एवं (बी) में अनेकार्थकता की आवश्यक परिवर्तनों को समावेशित करते हुए एफटीपी 2009-14 में सावधानी बरती गई थी जिसके कारण निर्यातों के लिए लाभों को अनुमत करने के बजाए माल के उत्पादन के लिए डीटीए से आपूर्तियों के लिए लाभ की अनुमति हुई। तदनुसार, ईओयू को पहले अनुमत सीएसटी का प्रतिदाय अपेक्षित नहीं था।

मंत्रालय/विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बोर्ड ने अपने परिपत्र सं. 74/01(सीशु) दिनांक 4 दिसम्बर 2001 और 10/09 (सीशु) दिनांक 25 फरवरी 2009 के माध्यम से स्पष्ट किया था कि सभी माने गए निर्यात अभिलाभ इस सिद्धान्त पर दिए जाने थे कि माल का उपयोग तैयार उत्पादों के विनिर्माण में किया गया था जिनका बाद में निर्यात

किया जाता था। डीटीए में वापिस तैयार माल की बाद की बिक्री के मामले में परिपत्रों में भी देशज स्रोतों से अधिप्राप्त माल के प्रति पहले लिए गए माने गए निर्यात अभिलाभों की वापसी का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त, सीएसटी की प्रतिपूर्ति उस समय के प्रचलित एफटीपी प्रावधानों के अन्तर्गत 2005-06 से 2007-08 की अवधि के दौरान डीटीए निकासियों के लिए की गई थी और एफटीपी 2009-14 में किए गए परिवर्तन उन डीटीए निकासियों को लागू नहीं थे।

2.1.6 लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मैसर्स मेटा कॉपर एण्ड एलायज लिमिटेड उपासनगर, गोवा, एक ईओयू ने 2001-02 से 2007-08 तक की अवधि के दौरान समस्त उत्पादन के लिए अधिप्राप्त और प्रयुक्त सामग्री पर 8.20 करोड़ रूपए की राशि का सीएसटी प्रतिदाय प्राप्त किया। इकाई को डीटीए में माल के एफओबी मूल्य के 50 प्रतिशत को बेचने की अनुमति भी दी गई थी। 2001-02 से 2007-08 तक की अवधि के दौरान उसने 549.39 करोड़ रूपए के डीटीए की बिक्री की और 1,391.33 करोड़ रूपए मूल्य का निर्यात किया। चूंकि सीएसटी की प्रतिपूर्ति मात्र निर्यातित माल के संबंध में अनुज्ञेय थी इसलिए डीटीए बिक्री पर 2.32 करोड़ रूपए की राशि के सीएसटी की अधिक प्रतिपूर्ति वसूलीयोग्य थी।

मामला बताए जाने पर (अगस्त 2009), एसईईपीजेड, मुंबई प्राधिकारियों की टिप्पणियों से सहमत होते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2009) कि ईओयू के लिए डीटीए से माल की आपूर्ति के लिए सीएसटी की प्रतिपूर्ति बिना भेदभाव के थी कि माल का उपयोग डीटीए में निर्यात के लिए अथवा निकासियों के लिए किया गया था।

मंत्रालय ने पुनः बताया कि परिशिष्ट 14-I-I के पॉलिसी पैराग्राफ 2(ए) एवं (बी) में अनेकार्थकता की आवश्यक परिवर्तनों को समावेशित करते हुए एफटीपी 2009-14 में सावधानी बरती गई थी जिसके कारण माल के उत्पादन के लिए डीटीए से आपूर्तियों के लिए लाभ की अनुमति हुई।

मंत्रालय/विभाग का उत्तर मान्य नहीं है चूंकि सीएसटी की प्रतिपूर्ति मात्र निर्यात के लिए उद्दिष्ट माल के संबंध में स्वीकार्य है और डीटीए बिक्री के लिए उत्पादित माल के संबंध में नहीं। इसके अतिरिक्त, एफटीपी 2009-14 में किए गए परिवर्तन 2001-02 से 2007-008 की अवधि की डीटीए निकासियों को लागू नहीं हैं।

निवल विदेशी मुद्रा आय का प्राप्त न होना/निर्यात बाध्यताओं का पूरा न होना

एचबीपी खण्ड-I के पैराग्राफ 6.10.1 के साथ पठित एफटीपी के पैराग्राफ 6.5 के अनुसार ईओयू सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) अर्जक होगा और इसकी गणना संचयी रूप से उत्पादन के प्रारम्भ से शुरू करते हुए पाँच वर्षों के ब्लॉक में संचयी रूप से की जाएगी। अधिसूचना सं. 52/2003-सी शु दिनांक 31 मार्च 2003 के पैराग्राफ (3)(डी) (ii) के अनुसार कथित सकारात्मक एनएफआई के प्राप्त न करने के मामले में

सकरात्मक एनएफई के लिए एनएफई के प्राप्त न हुए भाग के अनुपात में छोड़े गए आनुपातिक शुल्क की वसूली ब्याज सहित की जानी है। इसके अतिरिक्त, इकाई विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमावली) अधिनियम, 1992 की धारा 11(2) के अन्तर्गत शास्ति का भुगतान करने की दायी है।

2.1.7 डीसी, एसईईपीजेड, मुम्बई के अन्तर्गत एक ईओयू मैसर्स विबग्योर पेन्टस प्राइवेट लिमिटेड, थाने, को औद्योगिक रंग रोगन, सजावटी रंग रोगन एवं रेजिन के विनिर्माण के लिए जुलाई 2001 में एक एलओपी जारी किया गया था। इकाई ने 2001-02 से 2005-06 के दौरान 12.11 करोड़ रूपए मूल्य की कच्ची सामग्री का आयात किया जबकि 2002-03 से 2005-06 के दौरान निर्यातों का एफओबी मूल्य 13.92 करोड़ रूपए था। तथापि, वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट की संवीक्षा से पता चला कि 4.69 करोड़ रूपए की राशि की निर्यात आय उगाही के लिए बकाया थी। इसके परिणामस्वरूप सकरात्मक एनएफई की प्राप्ति नहीं हुई, कमी 2.88 करोड़ रूपए की राशि की थी। उपर्युक्त अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार, सकरात्मक एनएफई में गिरावट के लिए छोड़ा गया आनुपातिक शुल्क 1.13 करोड़ रूपए था।

इसे बताए जाने पर (अक्टूबर 2007), विभाग ने 1.13 करोड़ रूपए की माँग (दिसम्बर 2008) की पुष्टि की। तथापि, इकाई ने आदेश के प्रति अपील की (जनवरी 2009)। मामले के परिणाम प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2010)।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (सितम्बर 2009); उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

2.1.8 शिलांग कमिश्नरी के अन्तर्गत मैसर्स मिजोरम वीनस बम्बू प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ऐजवाल, एक इओयू को अपने समस्त उत्पादन का विनिर्माण करने और निर्यात करने तथा उत्पादन प्रारम्भ करने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के लिए सकरात्मक एनएफई प्राप्त करने की बाध्यता सहित 30.07 लाख रूपए मूल्य का पूँजीगत माल देशज स्रोतों से आयात करते हुए/अधिप्राप्त करते हुए 100 प्रतिशत ईओयू का गठन करने के लिए जुलाई 2003 में लाइसेंसिंग प्राधिकारी, कोलकाता द्वारा एक एलओपी जारी किया गया था। एलओपी को बाद में पूँजीगत माल के मूल्य को 3.69 करोड़ रूपए तक बढ़ाते हुए मई 2004 में संशोधित किया गया था। इस संशोधित सीमा के प्रति, इकाई ने 2.79 करोड़ रूपए की राशि के शुल्क को छोड़ते हुए 6.45 करोड़ रूपए के मूल्य पर पूँजीगत माल का सितम्बर 2003 और नवम्बर 2006 के बीच आयात किया/अधिप्राप्त किया। वर्ष 2006 में असफल परीक्षण को छोड़कर इकाई किसी निर्यात उत्पाद के विनिर्माण के लिए पूँजीगत माल का उपयोग नहीं कर सकी। तदनुसार, इकाई लागू ब्याज सहित 2.79 करोड़ रूपए के शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी थी।

इसे बताए जाने पर (नवम्बर 2008), सीमाशुल्क विभाग ने सूचित किया (मार्च 2009) कि ब्याज के अतिरिक्त 2.79 करोड़ रूपए के शुल्क की माँग करते हुए एक एससीएन

जारी किया जा रहा था। डीसी, एफएसईजेड ने विदेशी व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत शास्ति की वसूली करने के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया (अप्रैल 2009)। आगे की प्रगति सूचित नहीं की गई है (जनवरी 2010)।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (सितम्बर 2009); उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

2.1.9 एसईईपीजेड, मुम्बई के अन्तर्गत मैसर्स पीडी डाईकेम इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड एक ईओयू को "रिएक्टिव काला"; "रिएक्टिव गहरा नीला", "रिएक्टिव गोल्ड येलो" और "रिएक्टिव नांरगी" के विनिर्माण और निर्यात के लिए जून 2002 में एक एलओपी जारी किया गया था। 5.72 करोड़ रूपए मूल्य की शुल्क मुक्त कच्ची सामग्री के आयात के प्रति इकाई ने 9.37 करोड़ रूपए मूल्य के माल का निर्यात किया और उसे सकारात्मक एनएफई की प्राप्ति पर विचार करते हुए किसी शास्ति का उद्ग्रहण किए बिना विकास आयुक्त एसईईपीजेड द्वारा अप्रैल 2007 में डीबॉण्ड के लिए अनुमति दी गई थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 9.37 करोड़ रूपए मूल्य के निर्यातित माल में से 4.28 करोड़ रूपए की राशि की इकाई द्वारा उगाही नहीं की गई थी। तदनुसार, 62.57 लाख रूपए जिस पर 24.53 लाख रूपए का सीमाशुल्क वसूलीयोग्य था की सकारात्मक एनएफई में गिरावट हुई थी।

इसे बताए जाने पर (अक्टूबर 2007), विभाग ने बताया (जुलाई 2009) कि इकाई ने सकारात्मक एनएफई प्राप्त की थी क्योंकि एनएफई की गणना के प्रयोजन के लिए निर्यातों के एफओबी मूल्य से उगाही न गई विदेशी मुद्रा राशि की कटौती के बारे में एफटीपी और एचबीपी में कोई प्रावधान नहीं था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आरबीआई विनियमावली के साथ पठित ईओयू इकाईयों (एचबीपी, खण्ड-I का परिशिष्ट -14 आईजी) के निष्पादन की मॉनीटरिंग करने के लिए दिशानिर्देशों के अनुसार, डीसी आरबीआई के सम्बन्धित महाप्रबन्धक के साथ समन्वय में विदेशी मुद्रा की उगाही को मॉनीटर करेगा। इसके अतिरिक्त, आरबीआई विनियमावली में प्रावधान है कि निर्यात आय की उगाही छः माह की अवधि के अन्दर की जानी अपेक्षित है। डीबोन्डिंग के समय विदेशी मुद्रा की उगाही न होने का अर्थ है कि ईओयू सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जक नहीं था।

इसे विभाग को अगस्त 2009 में सूचित किया गया था; उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

2.1.10 मैसर्स मिलसॉफ्ट टेकनोलॉजी लिमिटेड कोच्चि, जो सीमाशुल्क कमिश्नरी, कोच्चि के अन्तर्गत एक एसटीपी इकाई है, जिसका एक निजी बन्धपत्र मालगोदाम लाइसेंस है, ने 100% ईओयू योजना के अन्तर्गत शुल्क के भुगतान के बिना 25.36 लाख रूपए मूल्य (मार्च 2002/जनवरी 2003) के पूँजीगत माल का आयात किया। मालगोदाम लाइसेंस 20 नवम्बर 2003 को समाप्त हो गया था। इकाई ने न तो लाइसेंस का नवीनीकरण कराया था और न ही अधिसूचना सं.52/2003-सी शु दिनांक 31 मार्च 2003 में अनुबद्ध के अनुसार इकाई के बन्धपत्र परिसरों में आयातित मशीनरी को प्रतिस्थापित किया था। कम्पनी पाँच वर्षों की अवधि के अन्दर निर्धारित निर्यात बाध्यता प्राप्त करने में भी विफल रही थी। चूँकि कम्पनी ने सभी अनुबद्ध शर्तों का उल्लंघन किया था इसलिए वह 14.41 लाख रूपए की राशि के छोड़े गए शुल्क और 14.58 लाख रूपए के ब्याज (सितम्बर 2009 तक) का भुगतान करने की दायी थी।

इसे बताए जाने पर (जून 2004/जुलाई 2008), विभाग ने बताया (नवम्बर 2008) कि निर्यात बाध्यता को पूरा न करने और लाइसेंस शर्त का उल्लंघन करने के लिए एक माँग नोटिस जारी किया गया था (जुलाई 2007) और बन्धपत्र परिसरों में पूँजीगत माल को प्रतिष्ठापन न करने के लिए एक दूसरा कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था (नवम्बर 2008)।

आगे की प्रगति सूचित नहीं की गई है (जनवरी 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

अनियमित डीटीए बिक्री

एचबीपी खण्ड-I के परिशिष्ट 14-आई-एच के खण्ड (एफ) एवं (जी) के अनुसार एक ईओयू को कतिपय शर्तों एवं स्थितियों के अधधीन अग्रिम डीटीए बिक्री की अनुमति दी जा सकती है। यदि ईओयू की एफटीपी के पैराग्राफ 3.5.2 में यथापरिभाषित प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस की प्रास्थिति है तो ऐसी बिक्री कथित परिशिष्ट के खण्ड (सी) के अनुसार मासिक आधार पर की जा सकती है।

2.1.11 मैसर्स तारा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, एक ईओयू को आयातित/देशज कच्ची सामग्री का उपयोग करते हुए पोलीइथाइलीन (पीई) मिश्रण, "हवाई चप्पल" आदि के विनिर्माण/निर्यात के लिए डीसी, एफएसईजेड द्वारा मार्च 2005 में एक एलओपी जारी किया गया था। डीसी, एफएसईजेड द्वारा जुलाई 2007 में 5 करोड़ रूपए की अग्रिम डीटीए बिक्री की अनुमति दी गई थी। अग्रिम डीटीए बिक्री अनुमति के प्रति इकाई ने एफटीपी के पैराग्राफ 6.8 (ए) के साथ पठित अधिसूचना सं. 23/2003-सी शु दिनांक 31 मार्च 2003 (क्रम संख्या 4) के अनुसार रियायती दर पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के भुगतान पर अप्रैल से जुलाई 2008 तक की अवधि के दौरान मासिक आधार पर (प्रीमियर ट्रेडिंग हाउस के रूप में) डीटीए में 19.10 करोड़ रूपए मूल्य की "हवाई चप्पल" के समस्त उत्पादन की निकासी की। इसके परिणामस्वरूप 14.10 करोड़ रूपए की

अधिक डीटीए बिक्री हुई जिस पर 99.67 लाख रूपए का केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क वसूलीयोग्य था।

इसे बताए जाने पर (जून 2008), डीसी और उत्पाद-शुल्क विभाग ने इस आधार पर शुल्क रियायत (अगस्त एवं अक्टूबर 2008) को न्यायसंगत ठहराया कि यह अग्रिम डीटीए बिक्री की अनुमति जो जुलाई 2007 में ईओ को दी गई थी, के अन्तर्गत था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुमति से अधिक डीटीए निकासी हुई थी और इसे आगामी हकदारी के प्रति समायोजित नहीं किया गया है।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

बेशी/अप्रचलित पूँजीगत माल की अनियमित डीटीए निकासी

एफटीपी 2004-09 के पैराग्राफ 6.15 (बी) के अनुसार, एक ईओयू लागू शुल्क के भुगतान पर डीटीए में अप्रचलित/बेशी पूँजीगत माल एवं फालतू पुर्जों का निपटान कर सकता है। इसके अतिरिक्त, एचबीपी खण्ड -I के पैराग्राफ 6.35 के अनुसार डीटीए में पुराने माल सहित पूँजीगत माल की निकासी की ईपीसीजेड योजना के अन्तर्गत एफटीपी के अनुसार अनुमति थी। तथापि, एफटीपी के पैराग्राफ 6.18 (डी) के अनुसार एक ईओयू को डीसी द्वारा एक बार के विकल्प के रूप में ईओयू योजना से मात्र एक्जिट पर ही प्रचलित ईपीसीजेड योजना के अन्तर्गत शुल्क के भुगतान पर पूँजीगत माल की निकासी की अनुमति दी जा सकती है।

2.1.12 लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि नासिक में मैसर्स बोस लिमिटेड एक ईओयू को डीसी, एसईईपीजेड, मुम्बई द्वारा "सामान्य रेल अन्तःक्षेपक पुर्जों एवं घटकों" के विनिर्माण के लिए नवम्बर 2004 में एलओपी जारी किया गया था। फरवरी 2007 में इकाई को सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एवं सीमाशुल्क, नासिक द्वारा उपयुक्त शुल्क के भुगतान पर बेशी पूँजीगत माल को डीबॉण्ड करने की अनुमति दी गई थी। इकाई ने ईपीसीजेड योजना के अन्तर्गत पाँच प्रतिशत की रियायती दर पर 3.09 करोड़ रूपए मूल्य के फालतू पुर्जों सहित पूँजीगत माल की निकासी की थी। चूँकि इकाई ने एफटीपी के पैराग्राफ 6.18 के अन्तर्गत किए गए प्रावधान के अनुसार एक बार के विकल्प के अन्तर्गत ईओयू योजना से एक्जिट नहीं किया था, इसलिए ईपीसीजी का लाभ देना सही नहीं था। इसके परिणामस्वरूप 81.62 लाख रूपए का अनुचित लाभ दिया गया।

इसे बताए जाने पर (जून 2008), विभाग ने बताया (मार्च 2009) कि पैराग्राफ 6.18 (डी) के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं हैं क्योंकि इकाई का ईओयू योजना से एक्जिट करने का कोई इरादा नहीं था। विभाग ने आगे बताया कि बेशी पूँजीगत माल की एफटीपी के पैराग्राफ 6.15(बी) और एचबीपी के पैराग्राफ 6.35 के अनुसार निकासी की गई थी जो लागू शुल्क के भुगतान पर डीटीए में बेशी पूँजीगत माल की निकासी

की अनुमति देता है और ये निकासियां, क्रमशः ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत भी अनुमत थी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पैराग्राफ 6.15(बी) के अन्तर्गत डीटीए निकासियां केवल लागू शुल्क के भुगतान पर ही अनुमत थी जो वर्तमान मामले में भी लागू थे। डीटीए निकासियां शुल्क की रियायती दर पर की गई थीं। इसके अतिरिक्त, पैराग्राफ 6.35 के अन्तर्गत निकासियां, उन ईओयू जिन्होंने योजना से एक्जिट के लिए एक बार विकल्प दिया था, द्वारा ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत केवल एफटीपी के अनुसार ही की जा सकती हैं। चूंकि इकाई ने योजना से एक्जिट के लिए यह विकल्प नहीं दिया था, इसलिए ईपीसीजी लाभ प्रदान करना अनियमित था। इसे जून/अक्टूबर 2009 में विभाग/मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2010)।

विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न हुए अपशिष्ट की अनियमित डीटीए बिक्री

यथासंशोधित अधिसूचना सं. 52/2003-सी शु दिनांक 31 मार्च 2003 के पैराग्राफ 3 के प्रथम उपबन्ध के अनुसार जहाँ एक ईओयू द्वारा उत्पादित अपशिष्ट सहित गैर-उत्पाद-शुल्क योग्य तैयार माल की डीटीए में बिक्री किए जाने की अनुमति दी जाती है वहाँ अपशिष्ट सहित ऐसे तैयार माल के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त प्रयोज्य सामग्री के संबंध में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, एफटीपी 2004-09 के पैराग्राफ 6.8 (जे) में प्रावधान है कि एक ईओयू द्वारा विनिर्मित माल की डीटीए बिक्री के मामले में जहाँ मूल शुल्क और अतिरिक्त सीमाशुल्क (सीवीडी) "शून्य" है वहाँ ऐसे माल को शुल्क के भुगतान के प्रयोजन के लिए गैर-उत्पाद-शुल्क योग्य के रूप में माना जाएगा।

2.1.13 शुल्क-मुक्त आयातित कच्चे कॉटन सहित देशज कच्चे कॉटन के अधिमिश्रण से सूती धागे का विनिर्माण करने वाली, सीमाशुल्क कमिश्नरी (एयर), कोलकाता के अन्तर्गत एक ईओयू मैसर्स पेसिफिक कॉटस्पिन लिमिटेड को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क की "शून्य" दर पर अधिसूचना सं. 23/2003-सी शु दिनांक 31 मार्च 2003 के अन्तर्गत 6 सितम्बर 2004 और 31 मार्च 2008 के मध्य डीटीए में "कॉटन वेस्ट" (उत्पादन प्रक्रिया से उत्पन्न हुए) की निकासी की अनुमति दी गई थी। चूंकि अधिसूचना के अन्तर्गत प्रभावी मूल शुल्क और सीवीडी डीटीए बिक्री के लिए "शून्य" थी, इसलिए कॉटन वेस्ट, एफटीपी 2004-09 के पैराग्राफ 6.8 (जे) के अनुसार उत्पाद-शुल्क योग्य नहीं थी। इसलिए सीमाशुल्क, यथासंशोधित अधिसूचना सं. 52/2003-सी शु दिनांक 31 मार्च 2003 के अन्तर्गत गैर-उत्पाद-शुल्क योग्य तैयार माल के उत्पादन और परिणामी बाई-प्रोडक्ट्स (कॉटन वेस्ट) के लिए प्रयुक्त आयातित प्रयोज्य सामग्री (कच्ची कॉटन) पर उद्ग्राह्य था। गलत छूट देने के परिणामस्वरूप 56.25 लाख रूपए के शुल्क का अनुद्ग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (जून 2008) विभाग ने बताया (जुलाई 2009) कि वह माँग नोटिस जारी कर रहा था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

"मानक इनपुट आउटपुट प्रतिमानों (एसआईओएन) के उल्लंघन में प्रयोज्य सामग्री का अधिक आयात"

एसआईओएन के अनुसार एक एमटी "पोलीएस्टर (पीईटी) चिप्स (उच्च दबाव मोल्डिंग ग्रेड/बोटल ग्रेड)" के विनिर्माण और निर्यात के लिए 0.3350 एमटी "ईथाइलीन ग्लाइकोल/ मोनोईथाइलीन ग्लाइकोल(एमईजी)" का आयात अनुमत है।

2.1.14 कोलकाता(वायुपत्तन) कमिश्नरी के अन्तर्गत एक ईओयू मैसर्स साउथ एशियन पैट्रोकेम लिमिटेड को "पोलीएस्टर चिप्स" के विनिर्माण के लिए जनवरी 1998 में उद्योग मंत्रालय द्वारा एक अनुमति पत्र जारी किया गया था। इकाई ने जुलाई 2007 से मार्च 2008 की अवधि के दौरान "बोटल ग्रेड पोलीएस्टर चिप्स" के उत्पादन के लिए एसआईओएन के अनुसार "एमईजी" की 35,823.34 एमटी की अनुज्ञेय मात्रा के प्रति 36,239.99 एमटी शुल्क मुक्त "एमईजी" का उपभोग किया था। इसके परिणामस्वरूप 416.65 एमटी "एमईजी" की अधिक खपत हुई जिस पर ब्याज सहित 52.50 लाख रूपए की राशि का सीमाशुल्क वसूली योग्य था।

इसे बताए जाने पर (जून 2008) सहायक डीसी, एफएसईजेड ने सूचित किया (अप्रैल 2009) कि उपभुक्त 1.28 एमटी की अधिक मात्रा को अनुवर्ती अवधि के दौरान आयात की अनुज्ञेय मात्रा से समायोजित किया गया था।

मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (दिसम्बर 2009) कि 52.50 लाख रूपए के शुल्क की माँग करते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

वसूली के ब्यौरे प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2010)।

गलत छूट प्रदान करना

निर्यात आयात नीति (एक्जिम) 2002-07 के पैराग्राफ 6.2 (बी) के अनुसार एक इओयू विकास आयुक्त की अनुमति से अपने कार्यकलापों के लिए अपेक्षित पूँजीगत माल सहित सभी प्रकार का माल शुल्क के भुगतान के बिना डीटीए से आयात अथवा प्राप्त कर सकता है।

2.1.15 एसईईपीजेड, मुम्बई के अन्तर्गत एक ईओयू मैसर्स एल्प्रो इन्टरनेशनल लिमिटेड, को "जिन्क ऑक्साइड डिस्कस" के विनिर्माण के लिए मई 2001 में एक एलओपी जारी किया गया था। एलओपी को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के भुगतान के बिना

निर्यात उत्पाद अर्थात् "ज़िन्क ऑक्साइड डिस्कस" की देशज अधिप्राप्ति अनुमत करने के लिए संशोधित किया गया था (अक्टूबर 2001)। यूनिट ने 2002-03 से 2006-07 तक की अवधि के दौरान 2.63 करोड़ रूपए के निर्धार्य मूल्य के 2.98 लाख "ज़िन्क आक्साइड डिस्कस" की अधिप्राप्ति की जिस पर 42.12 लाख रूपए का शुल्क छोड़ दिया गया था। चूँकि "ज़िन्क आक्साइड डिस्कस" के विनिर्माण हेतु यूनिट को एलओपी जारी किया गया था इसलिए उस उत्पाद की देशज अधिप्राप्ति सही नहीं थी और इससे नीति प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। इसके परिणामस्वरूप 42.12 लाख रूपए के राजस्व की हानि हुई।

इसे बताये जाने पर (अक्टूबर 2007), सहायक डीसी, एसईईपीजेड ने बताया (जून 2009) कि "सर्ज अरेस्टर" (एक ब्राडबैंड उत्पाद) जो ज़िन्क आक्साइड डिस्क सहित विभिन्न मर्दों की असैम्बली है, के अक्टूबर/नवम्बर 2001 तक विनिर्माण हेतु एक निर्यात आदेश को क्रियान्वित करने के लिए ज़िन्क आक्साइड की देशज अधिप्राप्ति अनुमत की गई थी। विभाग ने यह भी बताया कि यूनिट के "ज़िन्क आक्साइड डिस्क का परीक्षण उत्पादन दिसम्बर 2001 से शुरू होना था जबकि निर्यात आदेश इससे पहले निष्पादित किया जाना था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि:-

➤ माल, जिसे विनिर्माण और निर्यात हेतु एलओपी में अनुमत किया गया था, की अधिप्राप्ति हेतु अनुमति प्रदान करने की नीति में कोई प्रावधान नहीं है।

इसके अतिरिक्त, एचबीपी खंड-I के पैराग्राफ 6.34 के प्रावधानों के अनुसार डीसी एलओपी में उल्लिखित समान माल एवं कार्यकलापों हेतु ब्राडबैंडिंग अथवा वर्तमान विनिर्माण के क्षेत्र में बैकवर्ड अथवा फार्वर्ड लिंकेज हेतु प्रावधान करने की अनुमति दे सकता है। इस मामले में विनिर्माण अक्टूबर 2001 में शुरू भी नहीं हुआ था और अतएव, परीक्षण उत्पादन शुरू करने से पहले ब्राड बैंडिंग की अनुमति सही नहीं थी।

➤ इसके अलावा यूनिट 2006-07 तक जिस दौरान यूनिट की "ज़िन्क आक्साइड डिस्क" विनिर्माण यूनिट कार्य कर रही थी, देश में ही "ज़िन्क आक्साइड डिस्क" की अधिप्राप्ति करता रहा। अतएव, विभाग द्वारा उल्लिखित निर्यात अत्यावश्यकता के आधार का औचित्य अस्वीकार्य है।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

2.2 अग्रिम लाइसेंस देने की योजना

तदर्थ प्रतिमानों को अंतिम रूप देने पर निर्यात बाध्यता की पूर्ति न होना

एचबीपी खंड-I, 2004-09 के पैराग्राफ 4.7 के अनुसार जहाँ सीऑन, "अग्रिम लाइसेंसिंग समिति (एएलसी)" द्वारा नियत तदर्थ प्रतिमानों/सीऑन के अनुसार अन्तिम समायोजन

हेतु आवेदक द्वारा स्वतः घोषणा एवं वचन पर आधारित नहीं हैं वहां अग्रिम अनुमोदन जारी नहीं किया जाएगा।

एचबीपी खंड-I, (2004-09) के पैराग्राफ 4.24 के अनुसार अग्रिम लाइसेंसधारी को ईओ अवधि की समाप्ति की तारीख से दो महीनों के भीतर निर्यात बाध्यता (ईओ) की पूर्ति में दस्तावेजों को प्रस्तुत करना होता है। एचबीपी, खंड-I के पैराग्राफ 4.28 के अनुसार निर्यात बाध्यता की पूर्ति में चूक के मामले में लाइसेंसधारी को सीमाशुल्क प्राधिकारियों को ब्याज सहित अप्रयुक्त आयातित सामग्री के मूल्य पर सीमा शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित है।

2.2.1 मैसर्स नियाज अप्परेल्स, चेन्नै को 100% कॉटन ट्विल प्रिन्टेड फेब्रिक (6,18,800 वर्ग मीटर) और 100 % कॉटन ट्विल पीच फेब्रिक (1,76,800 वर्ग मीटर) के आयात हेतु स्वतः घोषित प्रतिमानों के अन्तर्गत अग्रिम अनुमोदन जारी किया गया था (सितम्बर 2005)। एएलसी ने 24 नवम्बर 2005 को हुई अपनी बैठक में स्वतः घोषित प्रतिमान का अनुमोदन किया था। लाइसेंसधारी ने लाइसेंस में आयात की तीसरी मद के रूप में 100 प्रतिशत "कॉटन टेप्स" के 6,12,000 यार्ड के आयात हेतु आवेदन किया था। लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी ने आयात सूची में तीसरी मद की अनुमति दी और लाइसेंस के सीआईएफ मूल्य को संशोधित करके 5.27 करोड़ रूपए और एफओबी मूल्य को संशोधित करके 6.93 करोड़ रूपए कर दिया। तदनुसार आयात की दो मदों पर आधारित तदर्थ प्रतिमानों, जिनका नवम्बर 2005 में पहले अनुमोदन किया गया था, को अस्वीकार कर दिया गया था और लाइसेंसधारी को संशोधन को समाविष्ट करने के लिए लाइसेंस के अभ्यर्पण का निदेश दिया गया था (दिसम्बर 2006)। किन्तु लाइसेंसधारी ने लाइसेंस का अभ्यर्पण नहीं किया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आरएलए ने न तो प्रतिमान के अस्वीकरण के बारे में सीमाशुल्क प्राधिकारी को सूचित किया और न ही एचबीपी के पैराग्राफ 4.28 के अन्तर्गत मामले के नियमन हेतु आगे कार्रवाई की। निर्यात बाध्यता अवधि सितम्बर 2007 में समाप्त हो गई। लाइसेंसधारी ने न तो ईओ अवधि के विस्तार हेतु आवेदन किया और न ही निर्यात बाध्यता की पूर्ति हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किए।

चेन्नै समुद्री सीमाशुल्क कमिश्नरी में आयात ब्यौरों के सत्यापन पर यह ध्यान में आया था कि लाइसेंसधारी ने अपना लाइसेंस उस कमिश्नरी में पंजीकृत किया था और एएलसी द्वारा अनुमोदन के अस्वीकरण से पहले कुल 3.60 करोड़ रूपए मूल्य की कच्ची सामग्री आयात की थी। इन आयातों के लिए लाइसेंसधारी ब्याज सहित 73.37 लाख रूपए के शुल्क के भुगतान के लिए दायी था।

इसे बताये जाने पर (नवम्बर 2008) विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2009) कि फर्म को नकारे गए सत्त्वों की सूची (जुलाई 2009) के अन्तर्गत रखा गया था। आगे की प्रगति सूचित नहीं की गई थी (जनवरी 2010)।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (अक्टूबर 2009); उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2010)।

2.2.2 मैसर्स फुटुरा पालिएस्टर (फुटुरा फाइबर डिवीजन) चेन्नै को "पालिएस्टर चिप्स (हाई प्रेशर मोल्टिंग ग्रेड)" के 4000 एमटी के निर्यात के प्रति कच्ची सामग्री की छ: मदों के आयात के लिए 21.61 करोड़ रूपए मूल्य के कुल सीईएफ हेतु स्वतः घोषणा प्रतिमानों के अन्तर्गत आरएलए, चेन्नै द्वारा दो अग्रिम अनुमोदन (नवम्बर 2005 एवं फरवरी 2006) स्वीकृत किए गए थे। इन लाइसेंसों हेतु तदर्थ प्रतिमान एएलसी द्वारा अनुमोदित किए गए थे जिसने सीऑन एच 206 के अनुसार इन मदों के आयात की अनुमति दी। संशोधित प्रतिमानों में अग्रिम प्राधिकरण में अनुमत से कम मात्रा में मात्र तीन मदों के आयात की अनुमति थी।

चेन्नै (समुद्री) कमिश्नरी के अभिलेखों के सत्यापन से पता चला कि लाइसेंसधारी ने सीऑन एच 206 के अन्तर्गत अनुमेय मात्रा से अधिक "मोनोइंथीलीन ग्लिकोल" के 1,41,400 कि.ग्रा. और "एन्टीमनी ट्राई आक्साईड" के 879 कि.ग्रा. का वास्तविक रूप में आयात किया था और तदनुसार वह ब्याज सहित 20.22 लाख रूपए के शुल्क के भुगतान के लिए दायी था।

इसे वाणिज्य मंत्रालय को बताये जाने पर (अक्टूबर 2009) जोनल जेडीजीएफटी, चेन्नै ने अपनी ओर से सूचित किया (दिसम्बर 2009) कि लाइसेंसधारी ने लाइसेंस के प्रति अन्य दो मदों के अधिक आयात का खण्डन करते हुए एक मद के अधिक आयात का नियमन किया। मामले की जाँच पड़ताल की जा रही थी। अन्य लाइसेंस के सम्बन्ध में जेडजेडीजीएफटी ने बताया कि लाइसेंस का निर्धारित ईओ की पूर्ति के बाद विमोचन कर दिया गया है।

2.3 निर्यात प्रोत्साहन पूँजीगत माल (ईपीसीजी) योजना

निर्यात बाध्यता की पूर्ति न होना

एचबीपी खंड-I 1997-02 के पैराग्राफ 6.19 के साथ पठित पैराग्राफ 6.11 और 6.12 के अनुसार एक ईपीसीजी लाइसेंसधारी को सीमाशुल्क की रियायती दर पर पूँजीगत माल के आयात की अनुमति दी जाती है और उससे विनिर्दिष्ट अवधि में निर्धारित ब्लाक-वार आनुपातिक निर्यात बाध्यता प्राप्त करना अपेक्षित है। निर्यात बाध्यता की मानीटरिंग हेतु लाइसेंसधारी को निर्यात बाध्यता की पूर्ति में की गई प्रगति पर लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी को ब्लाक-वार रिपोर्ट आवधिक रूप में प्रस्तुत करनी चाहिए। दो क्रमिक ब्लाकों हेतु दो वर्षों के किसी विशेष ब्लाक हेतु निर्धारित निर्यात बाध्यता के न्यूनतम 25 प्रतिशत के निर्वहन में विफल होने पर उसी समय से लाइसेंसधारी लागू ब्याज के साथ पूर्ण सीमाशुल्क के भुगतान के लिए दायी होगा।

2.3.1 मैसर्स सन फाइबर आप्टिक्स, एक पूर्व ईओयू यूनिट को परिवर्तन पर आठ वर्षों की अवधि के भीतर पूरे होने वाले 5.23 करोड़ रूपए मूल्य के ईओ के साथ 1.05 करोड़ रूपए मूल्य के पूँजीगत माल के आयात हेतु आरएलए बेंगलूरु द्वारा एक ईपीसीजी लाइसेंस जारी किया गया था (फरवरी 2001)। लाइसेंसधारी ने ईओयू योजना के अन्तर्गत 1.04 करोड़ रूपए मूल्य के पूँजीगत माल का आयात किया (फरवरी/अप्रैल 2000) और ईपीसीजी योजना के आने पर 52.62 लाख रूपए के शुल्क की बचत की। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि लाइसेंसधारी ने लाइसेंस की वैधता (अप्रैल 2009) की समाप्ति के दो महीनों के बाद भी निर्यात बाध्यता की पूर्ति हेतु निर्धारित ब्लाक-वार सभी रिपोर्टें प्रस्तुत नहीं की थी। तदनुसार लाइसेंसधारी 52.62 लाख रूपए के छोड़े गए सीमाशुल्क और 65.12 लाख रूपए के ब्याज (मई 2009 तक) के भुगतान के लिए दायी था।

इसे वाणिज्य मंत्रालय को बताये जाने पर (अगस्त 2009) जेडीजीएफटी, बेंगलूरु ने अपनी ओर से सूचित किया (दिसम्बर 2009) कि लाइसेंसधारी ने निर्यात बाध्यता की पूर्ति हेतु निर्यात दस्तावेज़ प्रस्तुत किए और मामले की जाँच पड़ताल की जा रही थी।

2.3.2 मैसर्स रबड़ वुड (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड कोट्टायम, केरल को आरएलए कोचीन द्वारा आठ वर्षों की अवधि के भीतर पूरी होने वाली 5.83 करोड़ रूपए की निर्यात बाध्यता के प्रति 1.17 करोड़ रूपए मूल्य के सीआईएफ के साथ एक ईपीसीजी लाइसेंस जारी किया गया था (अगस्त 2000)। 1.21 करोड़ रूपए मूल्य के माल के वास्तविक आयात के प्रति ईओ को बाद में 6.05 करोड़ रूपए तक संशोधित कर दिया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि तीसरे एवं चौथे ब्लाक वर्षों के लिए निर्धारित ब्लाक-वार निर्यात बाध्यता पूर्ति करने में लाइसेंसधारी विफल रहा। लाइसेंसधारी ने लाइसेंस की वैधता की समाप्ति (अगस्त 2008) तक 6.05 करोड़ रूपए के निर्धारित ईओ के प्रति 1.83 करोड़ रूपए मूल्य के माल का निर्यात किया। तदनुसार वह ब्याज सहित 16.92 लाख रूपए के छोड़े गए आनुपातिक सीमाशुल्क के भुगतान के लिए दायी था।

इसे बताये जाने पर (सितम्बर 2008) आरएलए ने बताया (मार्च 2009) कि ईओ की पूर्ति न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था (अक्टूबर 2008)। विभाग ने आगे बताया (मार्च 2009) कि यूनिट विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना होने के कारण उसे पूँजीगत माल के आयात पर सीमाशुल्क के भुगतान से पूर्णतः छूट प्राप्त थी और लाइसेंसधारी ने ईओ को माफ करने के लिए पहले ही नीति शिथिलन समिति (समिति), नई दिल्ली से सम्पर्क किया था, जिस पर निर्णय लम्बित था (अप्रैल 2009)।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना के अन्तर्गत छूट का लाभ उठाने के लिए परियोजना का अनुमोदन भारत सरकार (जीओआई) द्वारा किया जाना आवश्यक है और आयातक को ऐसे माल की निकासी के समय एक अधिकारी जो जीओआई के उप सचिव रैंक से नीचे न हो, से परियोजना के कार्यान्वयन

हेतु इस माल के उपयोग के सम्बन्ध में एक शुल्क छूट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता है। इन शर्तों की इस मामले में पूर्ति नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त समिति को किए गये अनुरोध का परिणाम भी सूचित नहीं किया गया है (जनवरी 2010)।

इसे मंत्रालय को सूचित किया गया था (अगस्त 2009); उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2010)।

लाइसेंस का गलत विमोचन

अधिसूचना 28 (आरई-2003)/2002-07 दिनांक 28 जनवरी 2004 में अनुबद्ध है कि लाइसेंसधारी, योजना के अन्तर्गत शेष ईओ के अनुपात में सीआईएफ मूल्य हेतु शुल्क बचत राशि के आठ गुणा के आधार पर शेष ईओ के पुनर्नियतन के लिए विकल्प दे सकता है।

2.3.3 तीसरे पक्षकार के माध्यम से निर्यात अनुमत किए गए थे बशर्ते कि ईपीसीजी लाइसेंसधारी का नाम लदान-पत्रों पर उल्लिखित हो। बैंक उगाही प्रमाण-पत्र (बीआरसी), जीआर घोषणा, निर्यात आदेश और बीजक तीसरे पक्षकार निर्यातक के नाम में होने चाहिए। यदि लाइसेंसधारी ईओ के निर्वहन में विफल होता है तो उसे ब्याज के अलावा लागू सीमाशुल्क का भुगतान करना भी अपेक्षित है (एचबीपी खंड-I का पैराग्राफ 5.14)।

मैसर्स अभिनंदन इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता को जेडीजीएफटी कोलकाता द्वारा शून्य शुल्क ईपीसीजी योजना के अन्तर्गत 2,53,261 अमरीकी डालर के सीआईएफ मूल्य हेतु पूँजीगत माल के आयात के लिए छः वर्षों की अवधि हेतु एक ईपीसीजी लाइसेंस जारी किया गया था (नवम्बर 1999) एवं उस माल का उपयोग 15,19,566 अमरीकी डालर (सीआईएफ मूल्य का छः गुणा) के ईओ के साथ "सिले सिलाये वस्त्रों" के विनिर्माण एवं निर्यात में किया गया था। लाइसेंसधारी ने सीमाशुल्क कमिश्नरी (पत्तन) कोलकाता के माध्यम से 1,88,396 अमरीकी डालर मूल्य के पूँजीगत माल की 19 मर्दों का आयात किया (दिसम्बर 1999) और प्रयुक्त वास्तविक सीआईएफ मूल्य के आधार पर परिकलित 11,30,376 अमरीकी डालर के ईओ की पूर्ति का दावा किया। लाइसेंस का फरवरी 2007 में विमोचन किया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि लाइसेंसधारी ने 42,372 अमरीकी डालर मूल्य के पूँजीगत माल की आठ मर्दों के एक अन्य परेषण का आयात किया (दिसम्बर 1999) किन्तु उसने लाइसेंस देने वाले प्राधिकारी को तथ्य की घोषणा नहीं की थी। आयात का कुल मूल्य लाइसेंसधारी द्वारा घोषित 1,88,396 अमरीकी डालर के बजाय 2,30,768 अमरीकी डालर था। तदनुसार निम्नतर सीआईएफ मूल्य के उपयोग की गणना करते हुए सही ईओ गलत रूप से निकाले गए 11,30,376 अमरीकी डालर के बजाय 13,84,608 अमरीकी डालर निकाला गया था। इसके अतिरिक्त 11,30,376 अमरीकी डालर के ईओ की पूर्ति हुई थी जिसमें 3,22,547 अमरीकी डालर के तीसरे

पक्षकार का निर्यात शामिल था, जिसके लिए वैध निर्यात दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे अतएव ये निर्यात ईओ की पूर्ति हेतु अपात्र हो गए थे। परिणामस्वरूप पात्र निर्यातों का वास्तविक मूल्य 8,21,767.38 अमरीकी डालर था जो ईओ (13,84,608 अमरीकी डालर) का 59.35 प्रतिशत था। इसके परिणामस्वरूप 40.65 प्रतिशत तक ईओ की कम पूर्ति हुई। तदनुसार 27.48 लाख रूपए के ब्याज सहित 22.55 लाख रूपए का बचाया हुआ शुल्क लाइसेंसधारी से वसूलीयोग्य था।

इसे बताये जाने पर (फरवरी 2008) जेडीजीएफटी, कोलकाता ने ईओ निर्वहन प्रमाण-पत्र को वापस लिया (मार्च 2008) और ब्याज सहित सीमाशुल्क के भुगतान हेतु फर्म से अनुरोध किया। तदुपरान्त लेखापरीक्षा संवीक्षा (मार्च 2009) से पता चला कि विदेश व्यापार (विकास एवं नियमन) अधिनियम 1992 की धारा 9 और 11 के अन्तर्गत शास्तिक कार्रवाई हेतु कारण बताओ नोटिस के साथ आगे लाइसेंस की अस्वीकृति का परिपत्र फर्म को दिसम्बर 2008 में जारी कर दिया गया था।

2.4 विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना (वीकेजीयूवाई) स्कीम

यथासंशोधित एफटीपी 2004-09 के पैराग्राफ 3.8.2.2 (सी) के अनुसार 2006-07 के दौरान एसईजेड यूनिटों और ईओयू द्वारा किए गए निर्यात वीकेजीयूवाई योजना के अन्तर्गत शुल्क क्रेडिट हकदारी के हकदार नहीं हैं। इसके अतिरिक्त 2007 में यथा संशोधित एफटीपी 2004-09 के पैराग्राफ 3.8.2.1 के अनुसार निर्यात प्रोत्साहन 1 अप्रैल 2007 से इस शर्त के अधीन ईओयू को दिया गया था कि ऐसी यूनिटें प्रत्यक्ष कर लाभ और पैराग्राफ 3.8.2.2 में निर्धारित अन्य शर्तों की प्रयोज्यता का लाभ नहीं उठाएंगी।

2.4.1 विकास आयुक्त, एमईपीजेड के नियंत्रणाधीन 100% ईओयू मैसर्स एआर घेरकीन्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नै और मैसर्स एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, चेन्नै दोनों को 1 अप्रैल 2006 से 31 मार्च 2007 तक की अवधि के दौरान इन यूनिटों द्वारा किए गए निर्यातों के लिए आरएलए, चेन्नै द्वारा 30.94 लाख रूपए के कुल क्रेडिट के नौ वीकेजीयूवाई स्क्रिप्स जारी किए गए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि चूंकि 2006-07 की अवधि के दौरान ईओयू यूनिटों द्वारा शुल्क क्रेडिट लाभ वाले निर्यात किए गए थे, इसलिए 2006 में यथासंशोधित एफटीपी के पैराग्राफ 3.8.2.2(सी) के अनुसार स्क्रिप्स जारी करना सही नहीं था और 30.94 लाख रूपए का क्रेडिट ब्याज सहित वसूलीयोग्य था।

इसे वाणिज्य मंत्रालय को बताये जाने पर (अक्टूबर 2009) जोनल जेडीजीएफटी चेन्नै ने अपनी ओर से सूचित किया (दिसम्बर 2009) कि मैसर्स घेरकीन्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में 26.42 लाख रूपए में से 3.92 लाख रूपए का समायोजन कर लिया गया है। 22.50 लाख रूपए के शेष की वसूली में आगे की प्रगति सूचित नहीं की गई थी (जनवरी 2010)।

मैसर्स एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स के मामले में जोनल जेडीजीएफटी, चेन्नै ने बताया कि फर्म के अनुरोध पर जेडीजीएफटी कोचीन ने फर्म द्वारा उनको (जेडीजीएफटी, कोचीन) प्रस्तुत दावों में से ब्याज सहित 4.52 लाख रूपए की राशि का समायोजन करने का अनुरोध किया था।

2.4.2 अधिसूचना संख्या 45 (आरई-2006)/2004-09 दिनांक 9 फरवरी 2007 के साथ पठित अधिसूचना संख्या 15 (आरई-2006)/2004-2009 दिनांक 27 जून 2006 के अनुसार दाल एवं स्कीम्ड मिल्क पाउडर को तत्काल प्रभाव से निर्यातों की ऋणात्मक सूची में रखा गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आरएलए मदुरई द्वारा मैसर्स सीएमएस बालन एण्ड कम्पनी को जारी (अगस्त 2007) एक वीकेजीयूवाई स्क्रिप और आरएलए, चेन्नै द्वारा मैसर्स ओमविस्कार एक्सपोर्ट, चेन्नै को जारी (अगस्त 2008) एक अन्य वीकेजीयूवाई स्क्रिप के मामले में निर्यात पर निषेध लगाने के बाद 18 लदान बिलों (एसबी) के माध्यम से किए गए दालों के निर्यात हेतु संस्वीकृत 11.13 लाख रूपए के क्रेडिट, शुल्क क्रेडिट में शामिल थे जिसके परिणामस्वरूप अनियमित संस्वीकृति हुई।

इसी प्रकार से आरएलए, चेन्नै द्वारा मैसर्स हटसन एगो प्रोडक्ट लिमिटेड चेन्नै को जारी (जुलाई 2007) एक वीकेजीयूवाई स्क्रिप के मामले में स्कीम्ड मिल्क पाउडर के निर्यात पर निषेध लगाने के बाद फरवरी 2007 में तीन एसबी के माध्यम से किए गए स्कीम्ड मिल्क पाउडर के निर्यात हेतु संस्वीकृत 6.18 लाख रूपए के क्रेडिट, शुल्क क्रेडिट में शामिल थे जिसके परिणामस्वरूप अनियमित संस्वीकृति हुई।

इसे वाणिज्य मंत्रालय को बताये जाने पर (अक्टूबर 2009) आरएलए (मदुरई एवं चेन्नै) ने बताया (मई/नवम्बर 2009) कि दालों के लिए जारी वीकेजीयूवाई स्क्रिप्स के संबंध में अन्य वीकेजीयूवाई स्क्रिप्स में संस्वीकृत राशि का समायोजन करके दो निर्यातकों से 10.18 लाख रूपए वसूल किए गए हैं। मैसर्स ओमविस्कार एक्सपोर्ट्स, चेन्नै से 0.95 लाख रूपए के शेष शुल्क क्रेडिट की वसूली के ब्यौरे प्रतीक्षित हैं। स्कीम्ड मिल्क पाउडर हेतु जारी वीकेजीयूवाई स्क्रिप्स के संबंध में यह बताया गया था (फरवरी 2009) कि ब्याज सहित 6.18 लाख रूपए के क्रेडिट के पुनर्भुगतान हेतु लाइसेंसधारी को एक पत्र जारी किया गया था। आगे की प्रगति सूचित नहीं की गई है (जनवरी 2010)।

2.5 प्रोजेक्ट आयात

शिक्षा उपकर का अनुद्ग्रहण

बोर्ड के परिपत्र संख्या 521/192/91 सीमाशुल्क (टीयू) दिनांक 8 मार्च 1994 में अनुबद्ध है कि अन्तिम निर्धारण मामलों के संबंध में ध्यान में आयी शुल्क की कम वसूली, यदि कोई हो, की अन्तिम निर्धारण की प्रतीक्षा किए बिना उगाही कर ली जानी चाहिए।

2.5.1 मैसर्स उड़ीसा हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड, भुवनेश्वर और मैसर्स वीमागिरी पावर जनरेशन लिमिटेड, राजामुन्द्री के पास वर्तमान 360 एमडब्ल्यू पावर प्रोजेक्ट के विस्तार हेतु और वीमागिरी एवं राजामुन्द्री में संयुक्त साईकल पावर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु मशीनरी एवं उपस्कर के आयात के लिए प्रोजेक्ट आयात योजना, 1986 के अन्तर्गत पंजीकृत लाइसेंस थे। दोनों लाइसेंसधारियों ने जनवरी 2005 से मई 2006 तक की अवधि के दौरान माल के 13 परेषणों का आयात किया था। इस माल का अतिरिक्त शुल्क पर शिक्षा उपकर के उद्ग्रहण के बिना अनन्तिम रूप से निर्धारण किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 36.98 लाख रूपए के शिक्षा उपकर का अनुद्ग्रहण हुआ जो 21.37 लाख रूपए के ब्याज सहित वसूलीयोग्य था।

इसे बताये जाने पर (अगस्त 2007) विभाग ने बताया (सितम्बर 2008) कि मैसर्स वीमागिरी पावर जनरेशन लिमिटेड से 19.41 लाख रूपए की वसूली की गई थी और शेष 10 बीई के मामले में 17.57 लाख रूपए हेतु मैसर्स उड़ीसा हाइड्रो पावर कारपोरेशन लिमिटेड को माँग नोटिस जारी किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

2.6 शुल्क हकदारी पासबुक (डीईपीबी) योजना

डीईपीबी स्क्रिप की अनियमित स्वीकृति

एफटीपी 2004-09 के पैराग्राफ 4.3.1 में अनुबद्ध है कि डीईपीबी स्क्रिप ऐसे निर्यात उत्पादों के प्रति एवं सार्वजनिक नोटिस द्वारा डीजीएफटी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दरों पर उपलब्ध होंगे। तथापि, डीईपीबी कोड 90/22डी के अनुसार डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित दर के अभाव में एक प्रतिशत की दर पर डीईपीबी स्क्रिप किसी पैकिंग सामग्री में पैक किए गए निर्यात उत्पादों हेतु उपलब्ध होगी।

"गुवार" गम और मीन्थोल के परिवर्तियों के निर्यात हेतु सीऑन का निर्धारण किया गया है।

2.6.1 जेडीजीएफटी, जयपुर द्वारा जारी डीईपीबी प्राधिकरणों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 34 मामलों में जेडीजीएफटी ने गुवार एवं मीन्थोल को ऐसे परिवर्तियों के निर्यात हेतु डीईपीबी प्राधिकरण जारी किया था जिसको सीऑन विवरणों के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 16.98 लाख रूपए का डीईपीबी क्रेडिट अनियमित प्रदान किया गया।

इसे बताये जाने पर (फरवरी 2009) विभाग ने बताया (फरवरी 2009) कि फर्मों को लेखापरीक्षा अभ्युक्ति के अनुपालन के लिए कहा गया था। आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

2.7 अन्य मामले

निर्यात बाध्यता की पूर्ति न होने, क्रेडिट के अधिक प्रदान करने, दावित बीमे की प्राप्ति के बावजूद शुल्क का भुगतान न करने, लाइसेंसों के गलत विमोचन, अपात्र आयात इत्यादि के 18 अन्य मामले जिनमें 3.90 करोड़ रूपए की वित्तीय विवक्षा निहितार्थ थी, लेखापरीक्षा में बताये गए थे। विभाग ने 15 मामलों में अभ्युक्ति स्वीकार की थी (जनवरी 2010 तक) और 12 मामलों में 3.19 करोड़ रूपए की वसूली सूचित की।

अध्याय III सीमाशुल्क का गलत निर्धारण

नमूना जांच में 10.50 करोड़ रूपए के निहितार्थ वाले सीमाशुल्क के गलत निर्धारण के कुछ मामले ज्ञात हुए जिनका वर्णन अनुवर्ती पैराग्राफों में किया गया है। इन टिप्पणियों को 25 मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को सूचित किया गया था। मंत्रालय/विभाग ने 4.74 करोड़ रूपए के राजस्व निहितार्थ वाले 18 मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया है (जनवरी 2010 तक) जिनमें से 1.61 करोड़ रूपए वसूल कर लिए गए हैं।

3.1 ऐन्टी-डम्पिंग शुल्क का अनुद्ग्रहण

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ए के अनुसार जहां कोई वस्तु किसी देश से भारत को इसके सामान्य मूल्य की अपेक्षा कम मूल्य पर निर्यात की जाती है तब भारत में ऐसी वस्तु के आयात पर केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा ऐन्टी-डम्पिंग शुल्क लगा सकती है। तदनुसार रंगीन पिक्चर ट्यूबों, पीवीसी रेज़िन, विटामिन "ए" आदि जैसे माल पर जब चीन, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड आदि जैसे निर्दिष्ट देशों से आयात किए गए थे ऐन्टी-डम्पिंग शुल्क समय समय पर लगाया गया था।

3.1.1 लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि इन निर्दिष्ट देशों से आयातित ऐसे माल के 43 परेषणों की निकासी 2.39 करोड़ रूपए के लागू ऐन्टी-डम्पिंग शुल्क के उद्ग्रहण के बिना की गई थी।

मामले की ओर ध्यान दिलाने पर मंत्रालय/विभाग ने 2.39 करोड़ रूपए के समस्त ऐन्टी-डम्पिंग शुल्क के अनुद्ग्रहण को स्वीकार किया और 18 परेषणों के संबंध में 1.09 करोड़ रूपए की कुल वसूलियों की सूचना दी। शेष 25 परेषणों से संबंधित वसूली की स्थिति प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2010)।

3.2 अनभिप्रेत वित्तीय अभिलाभ

सीमाशुल्क अधिनियम (सीए), 1962 की धारा 48 के साथ पठित धारा 46 के अनुसार आयातक को घरेलू खपत अथवा भांडागारण के लिए उतारे गए आयातित माल के संबंध में आगम पत्र (बीई) प्रस्तुत करना और उतराई की तारीख से तीस दिन के भीतर अथवा ऐसे बढ़ाए गए समय जो विभाग अनुमत करे, के अन्दर माल की निकासी लेना अपेक्षित है। शुल्क की दर और आयातित माल के लिए लागू टैरिफ मूल्यांकन बीई के प्रस्तुतीकरण की तारीख पर लागू मूल्यांकन होना चाहिए {सीए, 1962 की धारा 15 (1)}। केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड, नई दिल्ली (बोर्ड) ने अपने परिपत्र दिनांक 15 जून 2001 द्वारा निदेश दिया कि भोज्य/खाद्य उत्पादों के आयात की अनुमति सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठन (पीएचओ) से जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर ही दी जानी

चाहिए। जांच रिपोर्ट की प्राप्ति लम्बित होने तक ऐसे आयातों को उक्त अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत भांडागारों में भंडारित करने की अनुमति दी जा सकती है।

3.2.1 मै. मध्य प्रदेश ग्लाइकेम इंडस्ट्रीज और दो अन्यो ने भोज्य श्रेणी सोयाबीन तेल के दो पोतों का आयात किया और उन्हें 2 मार्च 2004 और 2 अप्रैल 2004 के बीच कोलकाता सीमाशुल्क (पत्तन) पर उतारा। "पंपिंग गारंटी बांड" की प्राप्ति पर विभाग ने इस माल की मानव खपत हेतु अपेक्षित पीएचओ से अनिवार्य योग्यता जांच प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन सीए अधिनियम, 1962 की धारा 49 के अन्तर्गत भांडागार में अस्थाई रूप से माल के भंडारण के लिए आयातक को अनुमत किया। तथापि, उतराई की तारीख से 30 दिन के भीतर पीएचओ प्रमाणपत्र की प्राप्ति के बाद भी आयातक ने कोई बीई प्रस्तुत नहीं की। तदनन्तर, 88 से 151 दिनों के बीतने के बाद आयातक ने निकासी लेने के लिए 19 बीई (2 जून और 30 अगस्त 2004 के बीच) प्रस्तुत किए। विभाग ने इस माल का निर्धारण गैर-भांडागारित माल की निकासी के लिए धारा 48 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यविधि को लागू करते हुए आयातित माल की उतराई की तारीख (मार्च-अप्रैल 2004) से तीस दिन की अवधि के दौरान प्रचलित टैरिफ दर (710 प्रति टन अमरीकी डालर) की अपेक्षा वास्तव में बीई के प्रस्तुतीकरण की तारीख (जून-अगस्त 2004) पर प्रचलित प्रति टन 628 अमरीकी डालर की टैरिफ दर पर सीए 1962, की धारा 15(1)(क) के अनुसार किया। इस प्रकार, विभाग की विलम्बित कार्रवाई ने आयातकों को बांद की तारीख में बीई प्रस्तुत करने हेतु बिना किसी वैध कारण के धारा 49 के अन्तर्गत अस्थाई भंडारण के प्रावधानों की प्रवंचना करने और कम टैरिफ दर पर माल की निकासी करने में समर्थ बनाया। इसके परिणामस्वरूप आयातित माल की निकासी में अनुचित विलम्ब के कारण 1.78 करोड़ रूपए का पर्याप्त वित्तीय अभिलाभ हुआ।

मामले को बताए जाने पर (मई 2005) विभाग ने बताया (सितम्बर 2009) कि मामला स्पष्टीकरण के लिए बोर्ड को भेजा जा रहा है, क्योंकि इस संबंध में कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त, जनवरी 2008 में लेखापरीक्षा प्राधिकारियों के साथ बैठक के दौरान आयुक्त (पत्तन) ने विचार व्यक्त किया कि मामले का आगे होने वाली टैरिफ कान्फ्रेंस में उल्लेख किया जाएगा क्योंकि इसमें भारी वित्तीय निहितार्थ था और यह विशिष्ट कमिश्नरी का नहीं था। आयुक्त ने आगे बताया कि इस मामले में मांग तब तक नहीं उठाई जा सकती जब तक मामले पर कोई नीति निर्णय नहीं लिया जाता। तथापि, मामला सितम्बर 2009 तक उनके द्वारा बोर्ड के साथ प्रारम्भ नहीं किया गया था।

मंत्रालय का उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है (जनवरी 2010)।

3.3 प्रदत्त फिरती की वसूली न करना

विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 8 और विदेशी विनिमय प्रबंधन (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमन 2000 के विनियम 9 के साथ पठित सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर फिरती नियमावली, 1995 के नियम 16 क (1) के अनुसार निर्यातित माल के पूर्ण निर्यात मूल्य की द्योतक राशि की उगाही की जाएगी और निर्यात की तारीख से छह महीने के अन्दर भारत को वापस भेजी जाएगी। यदि निर्यात आय की अनुमत अवधि अथवा किसी बढ़ाई गई अवधि के अन्दर उगाही नहीं होती है, तो निर्यातकों को संस्वीकृत/वितरित फिरती नियम में निर्धारित ढंग से वसूल की जाएगी।

3.3.1 आरबीआई चंडीगढ़ से प्राप्त 30 जून 2008 को समाप्त अर्धवार्षिक के लिए निर्यात बकाया (एक्सओएस) विवरण की लेखापरीक्षा संवीक्षा और सहायक आयुक्त, कंटेनर फ्राइट स्टेशन, "कानकर" लुधियाना के कार्यालय में फिरती फाइलों की नमूना जांच से पता चला कि 2002-03 से 2007-08 तक की अवधि के 76 लदान बिलों के संबंध में निर्यात आय की उगाही नियमों में यथानिर्धारित छह माह से अधिक के बीत जाने के बाद भी नहीं की गई थी। तदनुसार, निर्यातकों को संस्वीकृत/वितरित 1.56 करोड़ रूपए की राशि की फिरती की वसूली उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत यथापेक्षित की जानी थी।

मामला सितम्बर 2008 में विभाग को बताया गया था; उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

3.4 गलत निर्धार्य मूल्य का अपनाया जाना

सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल के मूल्य का अवधारण) नियमावली, 2007 के नियम 10 के साथ पठित सीए, 1962 की धारा 14 के अनुसार सीमा शुल्क के निर्धारण के लिए आयातित माल का मूल्य आयात के समय और स्थान पर सुपुर्दगी के लिए ऐसे माल का मूल्य होगा और (क) आयात के स्थान पर आयातित माल के परिवहन की लागत (ख) आयात के स्थान पर आयातित माल की सुपुर्दगी पर वहन किए गए लदान, उत्तराई और प्रहस्तन प्रभारों तथा (ग) बीमा की लागत शामिल होगी। जहां भाड़े और बीमा की लागत अभिनिश्चयेय नहीं है वहां ऐसी लागत माल के पोतपर्यंत निःशुल्क (एफओबी) मूल्य का क्रमशः 20 प्रतिशत और 1.125 प्रतिशत होगी।

3.4.1 मै. टाटा स्टील लिमिटेड ने अगस्त 2008 में कोलकाता (विमानपत्तन) कमिश्नरी के माध्यम से एक पुराने विमान का आयात किया। संगणित विमान का निर्धार्य मूल्य 35,00,000 अमरीकी डालर की बीजक कीमत और उसका एक प्रतिशत लादने तथा

उतारने का प्रभार था। तथापि, बीजक कीमत में भाड़े और बीमा की लागत शामिल नहीं थी तथा इसलिए, सही निर्धार्य मूल्य प्राप्त करने के लिए मूल्यांकन नियमावली के अनुसार इसे जोड़ा जाना था। सही मूल्य 42,81,769 अमरीकी डालर बनता है। निर्धार्य मूल्य की गलत संगणना के परिणामस्वरूप 72.80 लाख रूपए के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

मामला बताए जाने पर (मार्च 2009) विभाग ने कम उद्ग्रहीत 72.80 लाख रूपए की वसूली के लिए आयातक को मांग नोटिस जारी करने की सूचना दी (जून 2009)। आगे की प्रगति सूचित नहीं की गई है (जनवरी 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

3.4.2 मै. जेबीजे परफ्यूम्स प्रा. लिमिटेड और अन्यो ने वास्तविक भाड़ा और बीमा की लागत घोषित किए बिना दिसम्बर 2007 और जुलाई 2008 के बीच "इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी) तुगलाकाबाद, दिल्ली के माध्यम से एफओबी मूल्य आधार पर विभिन्न माल का आयात किया। चूंकि भाड़ा और बीमा की लागत शुल्क निर्धारण के समय अभिनिश्चये नहीं थी, ऐसी लागत उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार परिकलित की जानी चाहिए थी। विभाग ने निर्धार्य मूल्य में भाड़ा और बीमा की लागत शामिल किए बिना इस माल का निर्धारण किया जिसके परिणामस्वरूप 10.76 लाख रूपए के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

मामले की सूचना विभाग को सितम्बर/दिसम्बर 2008 में दी गई थी; उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

3.4.3 सीमाशुल्क परिपत्र सं. 65/2001 दिनांक 19 नवम्बर 2001 के अनुसार आयात शुल्क अंतर्राष्ट्रीय वाहकों द्वारा धारित ईंधन, यदि उन्हें घरेलू क्षेत्र में प्रचालन के लिए विपणित किए जाते हैं, सहित भंडारों पर देय हैं।

घरेलू क्षेत्र में उड़ानों का प्रचालन करने वाले मै. एयर इंडिया और मै. इंडियन एयर लाइन्स अंतर्राष्ट्रीय ट्रिपों की समाप्ति पर ईंधन टैंक में उनके द्वारा धारित एविएशन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) के स्टॉक पर सीमाशुल्क अदा कर रहे थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जबकि मै. इंडियन एयर लाइन्स (निर्धारिती) ने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की छूट के समायोजन के लिए उत्पाद शुल्क सहित बीपीसीएल द्वारा घोषित मूल कीमत को अपनाया, सीमाशुल्क परिकलन के प्रयोजन के लिए उपर्युक्त दर (मूल कीमत) की अपेक्षा निम्नतर दर ली गई थी। मै. इंडियन एयरलाइन्स द्वारा निम्नतर निर्धार्य मूल्य अपनाने के परिणामस्वरूप ब्याज के साथ 23.25 लाख रूपए के सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

मामला बताए जाने पर (फरवरी 2008) विभाग ने मै. इंडियन एयरलाइन्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया (अगस्त 2008)। उत्तर में मै. इंडियन एयरलाइन्स ने बताया कि बीपीसीएल द्वारा अपनाए गए/प्रभारित किए गए मूल्य में कर, भाड़ा, अन्य प्रभार तथा बीपीसीएल का लाभ मार्जिन शामिल है जिसको शुल्क के निर्धारण के प्रयोजन के लिए मूल्य में शामिल नहीं किया जा सकता।

मै. इंडियन एयर लाइन्स का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 1988 के नियम 4 के अनुसार सीमाशुल्क के लिए प्रभार्य माल का संव्यवहार मूल्य, भारत को निर्यात के लिए बेचे गए माल के लिए वास्तव में प्रदत्त अथवा देय कीमत होनी चाहिए। तदनुसार, निर्धारिती को बीपीसीएल द्वारा आपूर्त एटीएफ की मूल कीमत अपनानी चाहिए।

3.5 अनन्तिम निर्धारणों को अंतिम रूप देने में विलम्ब

लोक लेखा समिति की 14वीं रिपोर्ट, 1996-97 में समाविष्ट सिफारिशों के जवाब में बोर्ड ने अपने परिपत्र दिनांक 19 मार्च, 1998 द्वारा निदेश दिया कि अनन्तिम निर्धारण के सभी मामलों को अनन्तिम निर्धारण के आदेश के जारी करने की तारीख से छह माह की अवधि के भीतर अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। यदि अनन्तिम निर्धारण को छह महीने के अन्दर अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता तो अन्य छह महीने का विस्तार आयुक्त द्वारा अनुमत किया जा सकेगा। जहां निर्धारण को एक वर्ष के अन्दर अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता, वहां मामले की योग्यता के आधार पर आयुक्त/मुख्य आयुक्त द्वारा और विस्तार उस अवधि, जो उचित पाई गई, के लिए हो सकता है। तथापि, आयुक्त/मुख्य आयुक्त ऐसे मामलों की निगरानी करेंगे।

3.5.1 मै. श्री सालासार इम्पेक्स और तीन अन्य ने कोलकाता (पत्तन) कमिश्नरी के माध्यम से जनवरी और अगस्त 2001 के बीच कपड़े के पांच परेषणों का आयात किया और माल को पॉलिस्टर कपड़ा के रूप में घोषित किया जिनका वर्गीकरण और निर्धारण अनन्तिम रूप से परीक्षण बंधपत्रों के निष्पादन पर सीटीएच 540761 के अन्तर्गत किया गया। बनावट परीक्षण जिसके लिए नमूने निर्धारण के समय सीमाशुल्क गृह प्रयोगशाला को भेजे गए थे, के परिणामों से पता चला कि माल एक मामले में "बुने हुए पाइल कपड़े", तीन मामलों में "पॉलिस्टर स्टेपल रेशे से बने कपड़े" और शेष मामले में विस्कोस स्टेपल रेशे (रंगे गए) के बने कपड़े" थे और तदनुसार, क्रमशः सीटीएच 6001 92 00, 5512 19 00 और 5516 12 00 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय थे जिसमें उच्चतर शुल्क अन्तर्ग्रस्त है। तथापि, परीक्षण परिणामों की समय से प्राप्ति जो विभेदक शुल्क अदा करने के लिए आयातकों की देयता दर्शाते थे, के बावजूद विभाग छह से सात वर्षों तक की अवधि में कोई कार्रवाई करने में विफल रहा। इसके अतिरिक्त, विभाग ने प्रतिकूल परीक्षण परिणामों से उद्भूत उगाही योग्य विभेदक शुल्क के मामले पर अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने हेतु कार्रवाई करने के लिए कमिश्नरी की "विशेष

सतर्कता यूनिट" से आंतरिक कार्यालय टिप्पणी (अक्टूबर 2007) पर कार्रवाई नहीं की है। इसके परिणामस्वरूप दिसम्बर 2008 तक 28.75 लाख रूपए के शुल्क और 33.05 लाख रूपए के ब्याज का संग्रहण नहीं हुआ।

मामला बताए जाने पर (जून 2008) विभाग ने सूचित किया (जून 2009) कि तीन मामलों में 27.50 लाख रूपए के शुल्क और 29.55 लाख रूपए के ब्याज की मांग करते हुए (जून 2008 तक) दो आयातकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे (नवम्बर 2008)। शेष दो मामलों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2010)।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (सितम्बर 2009); उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

3.6 शिक्षा उपकर का कम उद्ग्रहण

9 जुलाई 2004 से वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 91, 92 और 94 द्वारा दो प्रतिशत की दर पर शिक्षा उपकर लगाया गया। इसके अतिरिक्त, वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 136, 137 और 139 से 1 मार्च 2007 से एक प्रतिशत की दर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर लगाया गया। ये उपकर दो चरणों नामतः (i) सीमाशुल्क पर अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी) और (ii) मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) और सीवीडी जमा उन्नर (i) के अनुसार सीवीडी पर शिक्षा उपकर को शामिल करके सीमाशुल्क के कुल शुल्क पर सीमाशुल्क के शुल्क (शिक्षा उपकर) के रूप में आयात पर लगाया जाता है।

3.6.1 अगस्त 2006 और मार्च 2008 के बीच पश्चिम बंगाल (प्रिवेंटिव) कमिश्नरी के अन्तर्गत पानीटंकी लैंड कस्टम स्टेशन के माध्यम से मै. इवर-ग्रोविंग आयरन ऐन्ड फिन्वेस्ट लिमिटेड द्वारा विभिन्न माल (लोहे की जस्तीकृत समतल/लहरियादार चादर, जस्तीकृत लोहे के तार, पॉलीथिलीन चादर, ले फ्लैट ट्यूब, शीरा आदि) के 573 परेषणों के आयात पर विभाग ने केवल सीवीडी पर शिक्षा उपकर के उद्ग्रहण द्वारा माल की निकासी अनुमत की। तथापि, उपर्युक्त चरण (ii) पर सीमाशुल्क के कुल शुल्कों पर शिक्षा उपकर का उद्ग्रहण नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 48.06 लाख रूपए का कम उद्ग्रहण हुआ।

मामला बताए जाने पर (जुलाई 2008) विभाग ने 9.45 लाख रूपए की वसूली की सूचना दी (अप्रैल 2009)। आगे की प्रगति सूचित नहीं की गई है (जनवरी 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

3.7 महासमुद्र बिक्री का गलत निर्धारण

सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमावली, 1988 के नियम 4(1) के अनुसार आयातित माल का संव्यवहार मूल्य वह कीमत होगी जो वास्तव में अदा की गई या देय है। सार्वजनिक सूचना संख्या 145/2002 दिनांक 3 दिसम्बर 2002 के अनुसार सामान्य प्रथा के अनुसार महासमुद्र प्रभार सीआईएफ मूल्य का दो प्रतिशत लिया जाना है। तथापि, यदि वास्तविक महासमुद्र बिक्री ठेका कीमत "सीआईएफ मूल्य और दो प्रतिशत से अधिक" है तब अंतिम क्रेता द्वारा प्रदत्त वास्तविक ठेका कीमत निर्धारण के प्रयोजन के लिए मूल्य के रूप में लिया जाता है। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड ने अपने परिपत्र सं. 32/2004-सीशु. दिनांक 11 मई 2004 द्वारा पुनः बताया कि अंतिम क्रेता द्वारा प्रदत्त महासमुद्र बिक्री ठेका कीमत सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 1988 के नियम 4 के अन्तर्गत संव्यवहार मूल्य होगी।

3.7.1 विशाखापत्तनम सीमाशुल्क गृह और आईसीडी, हैदराबाद के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मै. पीईसी लिमिटेड और दो अन्य आयातकों ने महासमुद्र बिक्री आधार पर अपने माल को बेचा। बीई बीजक मूल्य के आधार पर दाखिल किए गए थे और तदनुसार, शुल्कों की अदायगी की गई थी, जबकि "करार मूल्य" बीजक मूल्य की अपेक्षा अधिक था। इस प्रकार, निर्धारण के प्रयोजन के लिए करार मूल्य को न अपनाने के परिणामस्वरूप 13.84 लाख रूपए का कम उद्ग्रहण हुआ।

मामला बताए जाने पर (अगस्त/अक्टूबर 2008), हैदराबाद II कमिश्नरी ने दो आयातकों के संबंध में ब्याज सहित 2.07 लाख रूपए के विभेदक शुल्क की वसूली की सूचना दी (फरवरी /मार्च 2009)। विशाखापत्तनम कमिश्नरी ने बताया (जनवरी 2009) कि शुल्क का उद्ग्रहण सही रूप से महासमुद्र बिक्री प्रभारों के लिए 1.25 प्रतिशत के सेवा प्रभारों का विचार करते हुए किया गया था। कमिश्नरी ने आगे बताया कि आयातित मद के लिए विचार किया गया संव्यवहार मूल्य 171 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन (पीएमटी) था जिसमें "बीमा प्रभार और 1.25 प्रतिशत के सेवा प्रभार शामिल हैं। 190 अमरीकी डालर पीएमटी की यूनिट दर जिसके आधार पर लेखापरीक्षा में अनियमितता बताई गई वास्तव में मुद्रण त्रुटि थी। लेखापरीक्षा द्वारा विचार की गई यूनिट कीमत किसी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थी कि क्रेता ने महासमुद्र बिक्री के विक्रेता को राशि अदा कर दी थी।

तथ्य शेष रहता है कि सेवा प्रभारों का उद्ग्रहण गलत रूप से दो प्रतिशत की बजाए 1.25 प्रतिशत की दर पर किया गया था। लेखापरीक्षा में सत्यापन के लिए क्रेता द्वारा किए गए भुगतान के विवरणों को मंगाते हुए यह फरवरी 2009 में विभाग को सूचित किया गया था। इसका आगे जवाब प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

3.7.2 इनलैंड कंटेनर डिपो (आईसीडी), तुगलकाबाद, नई दिल्ली के माध्यम से महासमुद्र बिक्री आधार पर किए गए आयात के 39 परेषणों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि विभाग द्वारा ऐसे आयातों पर शुल्क का निर्धारण "महासमुद्र बिक्री ठेका कीमत" की बजाए बीजक मूल्य पर किया गया था। इन सभी परेषणों में "महासमुद्र बिक्री की ठेका कीमत" सीआईएफ मूल्य जमा दो प्रतिशत महासमुद्र बिक्री प्रभारों" की अपेक्षा अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप 7.76 लाख रूपए का कम उद्ग्रहण हुआ।

मामला बताए जाने पर (फरवरी 2008 से जनवरी 2009) विभाग ने 12 परेषणों में 4.25 लाख रूपए की वसूली की सूचना दी। शेष 27 परेषणों से संबंधित उत्तर नहीं भेजे गए हैं (जनवरी 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

3.8 शुल्क की विशिष्ट दर का न अपनाया जाना

यथामूल्य और विशिष्ट दर दोनों पर शुल्क के लिए यथा निर्धार्य निर्दिष्ट माल यथामूल्य अथवा विशिष्ट दर जो उच्चतर है, पर निर्धारित किया जाना है। तदनुसार, सीटीएच 54, 55, 58, 60, 61, 62 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय यूनीफार्म, टी-शर्ट, बुने हुए अंदर की पैट, टाईज, कपड़े, मर्दाने बुने हुए जांघिए आदि यथामूल्य अथवा विशिष्ट दर जो उच्चतर है, पर बीसीडी के लिए निर्धार्य हैं।

3.8.1 मै. जासलीन इंटरप्राइजेज और 25 अन्य ने चेन्नै (समुद्र) कमिश्नरी के माध्यम से 39.02 लाख रूपए मूल्य के उपर्युक्त माल के 29 परेषणों का आयात किया (मई 2007 से फरवरी 2009)। इनमें से कुछ परेषण विशिष्ट दर की बजाए यथामूल्य दर पर सीमाशुल्क के लिए निर्धारित किए गए थे और अन्य परेषणों के संबंध में विशिष्ट दर पर शुल्क के परिकलन के लिए गलत यूनितें अपनाई गई थीं। इसके परिणामस्वरूप, 16.69 लाख रूपए के शुल्क का कम संग्रहण हुआ।

मामला बताए जाने पर (अक्टूबर 2007, जनवरी 2008, मई 2008 और मार्च 2009) विभाग ने 15 बीई के संबंध में 0.68 लाख रूपए के ब्याज के साथ 10.19 लाख रूपए की वसूली की सूचना दी (दिसम्बर 2007 से मार्च 2009)। मामले में और प्रगति सूचित नहीं की गई है (जनवरी 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

3.9 निर्यात पर सीमाशुल्क का अधिनिर्धारण

वित्त अधिनियम 2004 की धारा 91,92, और 94 द्वारा 9 जुलाई 2004 से लगाया गया दो प्रतिशत का शिक्षा उपकर और वित्त अधिनियम 2007 की धारा 136,17 और 19

द्वारा 1 मार्च 2007 से लगाया गया एक प्रतिशत का माध्यमिक एवं उच्चतर शिक्षा उपकर दोनों सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट माल, जब भारत में आयात किए जाते हैं, पर उद्ग्रह्य है।

3.9.1 भुवनेश्वर-I कमिश्नरी के अन्तर्गत सीमाशुल्क गृह, पारादीप के अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि शिक्षा उपकर और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा उपकर न केवल आयातों पर बल्कि सभी निर्यातों पर भी लगाए एवं संग्रहण किए जा रहे थे जबकि निर्यात माल सीमाशुल्क टैरिफ की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और इसलिए, ऐसे उद्ग्रहण आकर्षित नहीं करते हैं। जुलाई 2004 से जनवरी 2009 तक की अवधि के दौरान निर्यात माल पर ऐसे उपकर का गलत उद्ग्रहण और संग्रहण 1.37 करोड़ रूपए बनता था।

मामला बताए जाने पर (फरवरी 2009), विभाग ने बताया (मार्च 2009) कि यह सरकारी राजस्व की सुरक्षा के लिए किया जा रहा था क्योंकि वही प्रथा कोलकाता कमिश्नरी में भी अपनाई जा रही थी। बाद में, अनवधानिक रूप से शिक्षा उपकर के संग्रहण को स्वीकार करते हुए इसने बताया (अगस्त 2009) कि शिक्षा उपकर वित्त अधिनियम, 2004 की धारा 91,93 और 94 तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के साथ पठित "लौह अयस्क खान, मैगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम 1976" की धारा 3 के अन्तर्गत उद्ग्रह्य सीमाशुल्क के कुल शुल्कों पर उत्पादशुल्क के रूप में निर्यात उपकर पर लगाया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उद्ग्रहण किसी विधिक संस्वीकृति द्वारा समर्थित नहीं है। इसके अतिरिक्त, ऊपर उल्लिखित उपकर अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत उपकर केवल उत्पाद शुल्क के रूप में लगाया जाता है जब ऐसे अयस्क का उपयोग या बिक्री अथवा अन्यथा निपटान किसी धातुकर्मीय फ़ैक्टरी के लिए होता है। चूंकि माल द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट थे और निर्यात के लिए निकासी हुई थी इसलिए, वे विद्यमान प्रावधान के अन्तर्गत ऐसे उद्ग्रहण के क्षेत्र से बाहर थे।

यह मंत्रालय को सूचित किया गया था (सितम्बर 2009); उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

3.10 ऐंटी डम्पिंग शुल्क का अधिक उद्ग्रहण

अधिसूचना संख्या 96/2001-सीशु. दिनांक 25 सितम्बर 2001 के अनुसार ऐंटी डम्पिंग शुल्क 12.9 अमरीकी डालर प्रति जोड़े और प्रति जोड़े अमरीकी डालर में ऐसे आयात के पहुंच मूल्य के बीच अन्तर की दर पर चीन से खेल-कूद जूते के आयात पर लगाया जाना था। तथापि, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9ए के अन्तर्गत खण्ड (5) के अनुसार लगाए गए ऐंटी डम्पिंग शुल्क को जब तक पूर्व में प्रतिसंहत नहीं किया

जाएगा तब तक ऐसे कर की तारीख से पांच वर्षों की समाप्ति पर प्रभाव रखना बंद हो जाएगा।

3.10.1 मै. अदीदास इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लि. और मै. सैन्सपेरिल्स ग्रीनलैंड प्रा.लि. ने आईसीडी तुगलकाबाद और आईसीडी, पटपड़गंज, दिल्ली के माध्यम से फरवरी से अगस्त 2008 के दौरान 1.05 करोड़ रूपए के संयुक्त निर्धार्य मूल्य पर चीन से 26,655 जोड़े खेल-कूद जूते का आयात किया। विभाग ने उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार उस पर 27.46 लाख रूपए के ऐन्टी डम्पिंग शुल्क का उद्ग्रहण किया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि चूंकि ऐन्टी डम्पिंग शुल्क का पूर्व में आश्रय नहीं लिया गया था इसलिए उपर्युक्त अधिसूचना केवल 24 सितम्बर 2006 तक प्रभावी थी और तदनुसार, इन आयातों पर ऐन्टी डम्पिंग शुल्क नहीं लगाना चाहिए था। चूक के परिणामस्वरूप 27.46 लाख रू. के शुल्क का अधिक उद्ग्रहण हुआ।

मामला बताए जाने पर (अक्टूबर/नवम्बर 2008) सहायक आयुक्त, आईसीडी, तुगलकाबाद, नई दिल्ली ने टिप्पणी को स्वीकार करते हुए बताया (जुलाई 2009) कि आयातक प्रदत्त अधिक शुल्क के प्रतिदाय का दावा कर सकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

3.11 पुरस्कार की अधिक अनुमति देना

बोर्ड के परिपत्र सं. 13011/3/85-एडी.वी दिनांक 30 मार्च 1985 के अनुसार मुखबिर और सरकारी कर्मचारी जब निषिद्ध माल के अनुमानित बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत तक के पुरस्कार के लिए पात्र हैं। बोर्ड ने अपने परिपत्र दिनांक 9 सितम्बर 1985 में स्पष्ट किया कि देय पुरस्कार की अधिकतम सीमा दो श्रेणियों यथा मुखबिरों और सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से लागू होगी। तथापि, जून 2001 में जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार मार्च 1985 के पूर्व दिशानिर्देशों में प्रावधान की गई पुरस्कार राशि की सीमा से संबंधित मूल प्रावधान, परन्तु मुखबिरों और सरकारी कर्मचारियों के संबंध में अलग से "प्रत्येक" शब्द को छोड़कर बरकरार रखे गए थे। जब "गांजा" (नारकोटिक ड्रग) के मामले में अधिकतम पुरस्कार 80 रूपए प्रति किलोग्राम है जो 400 रूपए की गैर कानूनी कीमत का 20 प्रतिशत है।

3.11.1 शिलांग कमिश्नरी में 24.97 लाख रूपए के पुरस्कार सितम्बर 2006 और अक्टूबर 2007 के बीच की गई "गांजा" की 16,337 किलोग्राम ज़ब्ती के लिए फरवरी 2007 और अगस्त 2008 के बीच संस्वीकृत किए गए थे। वितरण के लिए देय पुरस्कार की राशि मुखबिरों और सरकारी कर्मचारियों दोनों के लिए सामूहिक रूप से 80 रूपए प्रति किलोग्राम तक सीमित करने की बजाए मुखबिरों के लिए 80 रूपए प्रति किलोग्राम की दर और सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से अन्य 80 रूपए प्रति किलोग्राम लागू

करके परिकलित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, 11.90 लाख रूपए के अधिक पुरस्कार की अनुमति दी गई।

मामला बताए जाने पर (नवम्बर 2008), विभाग ने यह कहते हुए पुरस्कार की संस्वीकृति को उचित ठहराया (दिसम्बर 2008/मार्च 2009) कि यद्यपि, संशोधित दिशानिर्देशों में यथा उल्लिखित पुरस्कार की सीमा स्पष्टतः निर्दिष्ट नहीं थी कि मुखबिरों और सरकारी कर्मचारियों के लिए दरें अलग थी; इसका इन दिशानिर्देशों के अनुवर्ती पैराग्राफों 4.3 और पैराग्राफ 13 से परिणाम निकल सकता है कि दरों का अलग से विचार किया जाना था और यह कि इसी प्रथा को अन्य सीमाशुल्क कमिश्नरियों द्वारा अपनाया गया था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पैराग्राफ 4.3 असामान्य परिस्थितियों में सरकारी कर्मचारी के लिए पुरस्कार की मात्रा का संव्यवहार होता है जबकि पैराग्राफ 13 में मुखबिरों से ली जाने वाली वचनबद्धता का संव्यवहार होता है। इसलिए, इन प्रावधानों को पैराग्राफ 4.1 में विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक पुरस्कार संस्वीकृत करने के लिए पर्याप्त आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है। तथ्य शेष रहता है कि जब तक संशोधित दिशानिर्देशों के पैराग्राफ 4.1 के वर्तमान प्रावधान लागू रहते हैं विभाग को पुरस्कारों की राशि प्रदान करने की सीमा अवधारित करते समय इनके द्वारा संचालित किया जाना चाहिए।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

3.12 अन्य मामले

विनिमय की गलत दर लागू करने और आयातित मात्रा के गलत अपनाने के कारण 45.95 लाख रूपए के कम उद्ग्रहण के चार अन्य मामलों में विभाग ने सभी लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया (जनवरी 2010 तक) और 24.64 लाख रूपए की वसूली की सूचना दी (जनवरी 2010)।

अध्याय IV

छूटें

सरकार को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 25(1) के अन्तर्गत वस्तुओं को या तो पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन जैसी अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाएं, उनपर उदग्राह्य सीमा शुल्क के सम्पूर्ण या किसी भाग से किसी विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं को छूट देने की शक्ति है। छूटों की गलत अनुमति के कारण 9.72 करोड़ रुपए के कुल शुल्क के अनुदग्रहण/कम उदग्रहण के कुछ निदर्शी मामलों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है। ये आपत्तियां 14 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को सूचित की गई थीं। मंत्रालय /विभाग ने 9.01 करोड़ रुपए के धन मूल्य वाले 11 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली थीं (जनवरी 2010 तक) जिसमें से 7.87 करोड़ रुपए वसूल कर लिए गए थे।

4.1 छूट की गलत अनुमति

4.1.1 निस्तारणीय मेरूदण्डीय सुइयां

अधिसूचना संख्या 6/2006 केउशु दिनांक 1 मार्च 2006 के साथ पठित सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 21/2002 सीशु (क्रम संख्या 370) दिनांक 1 मार्च 2002 के अनुसार 'सहायक साधनों, स्वास्थ्य लाभ साधनों और विकलांगों के लिए अन्य वस्तुओं के रूप में प्रयोग के लिए अभिप्रेत मेरूदण्डीय उपकरण(क्रम संख्या ई-9)' सहित विशिष्ट वस्तुओं का आयात शुल्क से मुक्त है।

मै. कंजी सावजी पारेख (कोलकाता) प्रा.लि. तथा मै0 सर्जीप्लस, पाण्डिचेरी ने कोलकाता (पत्तन) कमिश्नरी के माध्यम से 'निस्तारणीय मेरूदण्डीय सुइयां,' के आठ परेषणों का आयात किया (मई और नवम्बर 2007 के बीच)। विभाग ने उपर्युक्त अधिसूचनाओं के अन्तर्गत लाभ देकर शुल्क की 'शून्य' दर पर वस्तुओं की निकासी अनुमत की। लेखापरीक्षा में देखा गया कि वस्तुएं मेरूदण्डीय अनेस्थीशिया के भेदन तथा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड संग्रहण को सुगम बनाने के लिए सामान्य सर्जिकल उपकरण की प्रकृति की थीं और न कि अपंग/विकलांग द्वारा 'सहायक साधनों/स्वास्थ्य लाभ साधनों' के रूप में एकमात्र उपयोग के लिए बने मेरूदण्डीय उपकरण थे इसलिए छूट अनियमित थी। इसप्रकार छूट की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप 40.89 लाख रुपए के शुल्क का अनुदग्रहण हुआ।

मामला बताए जाने पर (अप्रैल 2008) विभाग ने इस आधार पर शुल्क छूट की अनुमति को उचित ठहराया (जुलाई 2008) कि पूर्व मामलों में से एक में समान वस्तुओं के आयातकों ने इस आशय, कि आयातित सुइयां आपरेशन प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त 'मेरूदण्डीय उपकरण' थीं, के विभिन्न चिकित्सालयों (एम्स नई दिल्ली सहित) तथा प्रख्यात शल्य चिकित्सकों से प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए थे।

तर्क मान्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 370 'विकलांग' द्वारा उपयोग की वस्तुओं को छूट अनुमत करती है और सामान्य उपयोग की वस्तुओं के लिए नहीं। इसके अतिरिक्त कथित सुइयां मेरूदण्डीय एनेस्थीशिया तथा सेरेब्रोस्पाइनल प्लूइड संग्रहण के सुगम पेनीट्रेशन को समर्थ करने के लिए सामान्य उपयोग के 'मेरूदण्डीय उपकरण' थे और विशेष रूप से विकलांग द्वारा उपयोग के लिए नहीं। इसके अलावा चिकित्सालयों तथा शल्य चिकित्सकों के प्रमाणपत्र प्रयोक्ताओं का उल्लेख नहीं करते।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

4.1.2 आरएफ टेलीकम्यूनिकेशन केबिल

आरएफ टेलीकम्यूनिकेशन केबिल सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 85444999 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय और मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) तथा अतिरिक्त शुल्क (सीवीडी) को उदग्रह्य है। इसके अलावा अधिसूचना 21/2005 दिनांक 1 मार्च 2005 बीसीडी तथा सीवीडी के उदग्रहण से मोबाइल हैंडसेट के पुर्जों, संघटकों तथा उपसाधनों को मुक्त करती है यदि आयातक सीमाशुल्क (उत्पादशुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण हेतु शुल्क की रियायती दर पर वस्तुओं का आयात) नियमावली 1996 के अधीन प्रक्रिया अपनाता है।

मै० जस टेलीकाम प्रा.लिमि. ने चेन्नई समुद्र पत्तन के माध्यम से 'आरएफ टेलीकम्यूनिकेशन केबिल' के तीन परेषणों का आयात किया (जुलाई 2008 से अक्टूबर 2008)। विभाग ने आयातित माल को सीटीएच 85444999 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया और उपर्युक्त अधिसूचना के अन्तर्गत बीसीडी तथा सीवीडी दोनों से मुक्त कर दिया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि आयातित मर्दे रील (रील=1000मीटर)/रील में केबिल होने पर छूट लाभ अनुमत करने के लिए मोबाइल हैंडसेट के पुर्जों या संघटकों या उपसाधनों के रूप में नहीं माने जा सकते थे। इसके अलावा आयातक ने सीमाशुल्क (उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण के लिए शुल्क की रियायती दर पर वस्तुओं का आयात) नियमावली 1996 में निर्धारित प्रक्रिया का भी अनुपालन नहीं किया है। तदनुसार उपर्युक्त अधिसूचना के अन्तर्गत ली गई छूट गलत थी और परिणामस्वरूप 36.93 लाख रूपए के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ जो ब्याज सहित वसूली योग्य था।

इसे बताए जाने पर (दिसम्बर 2008) विभाग ने सूचित किया (अप्रैल 2009) कि मांग नोटिस जारी किए गए थे। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2010)।

यह मंत्रालय को सूचित किया गया था (अक्टूबर 2009), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

4.1.3 वस्तुएं जिनका पुनःनिर्यात नहीं किया गया

अधिसूचना संख्या 158/95 सीशु दिनांक 14 नवम्बर 1995 के अनुसार वस्तुएं जो भारत में विनिर्मित हैं और पुनः संसाधन या परिमार्जन या पुनःनिर्माण आदि के लिए पुनः आयातित हैं, इस शर्त, कि वस्तुएं पुनः आयात की तारीख से छः महीनों या ऐसी बढ़ाई गई अवधि जो छः माह की और अवधि से अधिक नहीं है, के भीतर पुनः निर्यात की जाती हैं, के अध्यक्षीन शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं। निर्धारित शर्त के अनुपालन की विफलता की स्थिति में आयातक ब्याज के साथ छोड़े गए शुल्क का भुगतान करने का दायी है।

उपर्युक्त अधिसूचना के अन्तर्गत शुल्क छूट का लाभ लेकर कोलकाता (पत्तन) कमिश्नरी के माध्यम से नवम्बर 2006 तथा अगस्त 2007 के बीच मै. मेटालिक तथा नौ अन्य ने लोहा तथा इस्पात और उनकी वस्तुओं के बारह परेषणों का आयात किया था। आयातकों ने न तो वस्तुओं के पुनःनिर्यात का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया और न ही समय की वृद्धि की कोई मांग की। विभाग ने उदग्राह्य शुल्क वसूल करने के लिए यदि ऐसा नहीं तो छूट के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की। चूक के परिणामस्वरूप 26.08 लाख रूपए के शुल्क की वसूली नहीं हुई।

इसे जून 2008/सितम्बर 2009 में विभाग तथा मंत्रालय को बताया गया था। उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2010)। तथापि मई 2009 के दौरान बाद के सत्यापन में पता चला कि बारह में से तीन मामलों में मै. मेटालिक कोलकाता को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे (अगस्त 2008) और बाण्ड तथा बैंक गारंटी लागू कर देय ब्याज सहित 10.66 लाख रूपए के शुल्क की वसूली के आदेश के साथ निर्णय दिया गया था(मार्च 2009)।

4.1.4 पट्टाकृत मशीनरी तथा फालतू पुर्जे

अधिसूचना संख्या 27/ 2002 सीशु दिनांक 1 मार्च 2002 के अनुसार आयात की तारीख से छः महीनों/एक वर्ष के अन्दर पुनःनिर्यात हेतु अस्थाई रूप से आयातित 'पट्टाकृत मशीनरी, उपकरण या औज़ार' कुल सीमाशुल्क के 85 प्रतिशत/ 70 प्रतिशत से मुक्त हैं। इसके अलावा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय {1997(96) ईएलटी 214(एस.सी.)} के अनुसार मशीन के साथ आयातित उपसाधन छूट के पात्र नहीं हैं जब तक कि छूट अधिसूचना में यह विशेष रूप से शामिल न हो।

मै. लेटन कान्ट्रेक्टर्स (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड मुम्बई ने जामनगर कमिश्नरी (निवारक) के अधीन सिक्का कस्टम हाउस के माध्यम से पुनःनिर्यात आधार पर 'फालतू पुर्जे' के साथ -साथ 'क्रेन बार्ज' तथा 'यूटिलिटी वैसल' जैसी मशीनरियों के दो परेषणों का अस्थाई रूप से आयात किया (दिसम्बर 2006 तथा फरवरी 2007)। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के साथ पठित उपर्युक्त अधिसूचना के अन्तर्गत फालतू पुर्जे छूट के

पात्र नहीं थे परन्तु विभाग ने उनको छूट का लाभ दिया और अगस्त 2007 में फालतू पुर्जे के साथ मशीनरी के पुनः निर्यात की अनुमति दी। इसके परिणामस्वरूप 22.63 लाख रूपए की छूट की गलत अनुमति हुई।

मामला बताए जाने पर (मई 2008) विभाग ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया (जून तथा नवम्बर 2008) कि अधिसूचना संख्या 27/2002 सीशु दिनांक 1 मार्च 2002 प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत आने वाली सभी मदों को लाभ अनुमत करती है क्योंकि फालतू पुर्जे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं इसलिए वे लाभ के हकदार हैं। हिन्दुस्तान सेनीटरीवेयर एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीमाशुल्क समाहर्ता, कोलकाता के मामले में सर्वोच्च न्यायालय {1994 (114) ईएलटी 778 (एस.सी.)} ने निर्णय दिया कि "फालतू पुर्जे, यद्यपि दोषपूर्ण या घिसे पिटे को बदलने के लिए मशीन के विनिर्माण के बाद उसमें लगाए जाते हैं, मशीन का एक संघटक बनते हैं इसलिए एक घटक भाग हैं"।

विभाग का उत्तर निम्नलिखित आधारों पर मान्य नहीं है:

➤ उपकरण एक साधन होता है जो अन्यथा सम्भव नहीं कार्य की निष्पत्ति में यांत्रिक लाभ प्रदान करता है जबकि 'फालतू पुर्जे' का अर्थ प्रतिस्थापन हेतु एक भाग या उप-संयोजन से है जो समरूप या समान भाग या उपसंयोजन को बदलने के लिए तैयार है। इसप्रकार 'उपकरण' मशीनरी का एक अनिवार्य भाग है जबकि 'फालतू पुर्जे' केवल बदलने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

➤ सर्वोच्च न्यायालय का अग्र कथित 1997 का निर्णय अस्पष्टता की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से सूचित करता है कि कोई उपसाधन जो अधिसूचना में सुस्पष्ट रूप से शामिल नहीं है छूट का पात्र नहीं है। इसके अलावा अधिसूचना में उपकरण तथा औजारों को छूट की अनुमति के लिए चयनात्मकरूप से शामिल किया गया है और फालतू पुर्जे को किसी विचार के लिए शामिल नहीं किया गया है।

➤ इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 'फालतू पुर्जे' केवल-दोषपूर्ण या घिसे पिटे भाग को बदलने के बाद 'संघटक' की स्थिति प्राप्त करते हैं। वर्तमान मामले में फालतू पुर्जे किंचित उपयोग में नहीं लाए गए थे परन्तु पुनःनिर्यात किए गए थे इसलिए संघटकों के रूप का भी अर्थ नहीं लगाया जा सकता है।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

4.1.5 पापकार्न (मक्का)

सीटीएच 10059000 के अन्तर्गत आने वाले पापकार्न (मक्का) सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 21/2002 (क्रम संख्या 22) दिनांक 1 मार्च 2002 के अन्तर्गत यथामूल्य 50 प्रतिशत की दर पर बीसीडी को प्रभार्य हैं। ये माल उसी अधिसूचना की क्रम संख्या 22ए के अनुसार बीसीडी की शून्य दर पर प्रभार्य थे जो अधिसूचना 9/2007 सीशु दिनांक 25 जनवरी 2007 के अनुसार 25 जनवरी 2007 से 31 दिसम्बर 2007 तक प्रभावी थी।

चेन्नई (समुद्र) कमिश्नरी के माध्यम से मै. गोयल इंटरनेशनल तथा मै० सीपी ओवरसीज द्वारा आयातित (फरवरी 2008) 26.66 लाख रूपए मूल्य के सीटीएच 10059000 के अन्तर्गत आने वाले "पापकार्न (मक्का)" के दो परेषण 50 प्रतिशत बीसीडी के बजाय 'शून्य' को निर्धारित किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप 13.73 लाख रूपए के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (जुलाई 2008) विभाग ने बताया (फरवरी 2009) कि मै. गोयल इंटरनेशनल तथा मै. सीपी ओवरसीज को क्रमशः 8.35 लाख रूपए तथा 5.38 लाख रूपए के मांग नोटिस जारी किए गए थे (जुलाई 2008) और उनकी पुष्टि हो गई थी। विभाग ने आगे बताया कि मूल आदेश से दुखी मै. गोयल इंटरनेशनल ने अपील आयुक्त के पास अपील दायर की थी और मुद्दे पर निर्णय लम्बित है। आगे की प्रगति सूचित नहीं की गई है (जनवरी 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

4.2 गलत वर्गीकरण तथा छूट की गलत अनुमति के कारण शुल्क का कम उदग्रहण

4.2.1 "डिजिटल कैमरा" सीटीएच 85258020 के अन्तर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं और "वीडिओ कैमरा रिकार्डर" सीटीएच 85258030 के अन्तर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं और 10 प्रतिशत की दर पर बीसीडी को प्रभारित हैं। "डिजिटल स्टिल इमेज वीडिओ कैमरा" सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 25/2005 दिनांक 1 मार्च 2005 की क्रम संख्या 13 के तहत बीसीडी से मुक्त हैं। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड (बोर्ड) ने अपने परिपत्र संख्या 32/2007 दिनांक 10 सितम्बर 2007 द्वारा स्पष्ट किया कि अधिसूचना संख्या 25/ 2005 की क्रम संख्या 13 की प्रविष्टि का लाभ इसके मुख्य कार्य के रूप में स्टिल इमेज रिकार्डिंग वाले डिजिटल कैमरा को उपलब्ध होगा और वो डिजिटल कैमरा शामिल होंगे जो सीमित समय अवधि के लिए चल आकृतियों को रिकार्ड करने की क्षमता रखते हैं। तथापि टैरिफ मद संख्या 85258030 के अन्तर्गत आने वाले "केमकार्डर" या "वीडिओ रिकार्डर" जैसे डिजिटल कैमरा, जो स्टिल इमेज तथा चल आकृतियां दोनों ले सकते हैं, कथित प्रविष्टि के अन्तर्गत शामिल नहीं हैं।

मै. पेनासोनिक सेल्स एवं सर्विसेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड ने चेन्नई समुद्र पत्तन के माध्यम से 2.28 करोड़ रूपए मूल्य के एसडीआर एच-60, वीडिआर डी-50 आदि माडलों के "डिजिटल वीडियो कैमरा" के तीन परेषणों का आयात किया (जुलाई से अक्टूबर 2008)। ये वस्तुएं "डिजिटल स्टिल इमेज वीडियो कैमरा" के रूप में सीटीएच 85258020 के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई थीं और उपर्युक्त अधिसूचना के अन्तर्गत 'शून्य' बीसीडी को निर्धारित की गई थीं। लेखापरीक्षा में देखा गया कि आयातित डिजिटल वीडियो कैमरा के माडल वास्तव में "केमकोर्डर" थे और इसलिए आयातित वस्तुएं उम्र उल्लिखित बोर्ड के परिपत्र के अनुसार सीटीएच 85258030 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय और 10 प्रतिशत बीसीडी की दर पर प्रभार्य थीं। गलत वर्गीकरण तथा छूट की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप 20.68 लाख रूपए के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (जनवरी 2009) विभाग ने बताया (अप्रैल 2009) कि उन्होंने इन कैमरों के कार्यचालन के बारे में आयातक से विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा था क्योंकि यह निश्चित नहीं था कि क्या कैमरा अलग-अलग स्टिल तस्वीरें खींचता है या लगातार वीडियो बनाता है। आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)

4.3 अन्य मामले

8.11 करोड़ रूपए के कम उदग्रहण वाले आठ अन्य मामलों में मंत्रालय/विभाग ने सात मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली थीं (जनवरी 2010 तक) और पांच मामलों में 7.79 करोड़ रूपए की वसूली सूचित की थी।

अध्याय V वर्गीकरण

माल के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 7.05 करोड़ रुपये के सीमाशुल्क के कम उद्ग्रहण/अनुद्ग्रहण के कुछ मामले नमूना जांच में देखे गए जो निम्न पैराग्राफों में वर्णित हैं। इन अभियुक्तियों को 24 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को सूचित किया गया था। मंत्रालय/विभाग ने 15 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों में 2.06 करोड़ रुपये के राजस्व निहितार्थ वाली लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार किया (जनवरी 2010 तक), जिनमें से 37 लाख रुपये की वसूली कर ली गयी है।

5.1 बुने हुए वस्त्र

"सिन्थैटिक स्टेपल फाइबर्स-अनब्लीच्ड के 85 प्रतिशत या अधिक भार वाले, सिन्थैटिक स्टेपल फाइबर्स के बुने वस्त्र " सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 55121110 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं, जिन पर 10 प्रतिशत यथामूल्य की दर पर शुल्क प्रभार्य है, जबकि 'पोलियस्टर फिलामैन्ट- अन्य के 85 प्रतिशत या अधिक भार वाले सिन्थैटिक फिलामैन्ट यार्न बुने वस्त्र-अन्य बुने वस्त्र' शीर्ष 54076900 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं जिन पर यथामूल्य 10 प्रतिशत या 60 रुपये प्रति वर्ग मीटर जो भी अधिक हो की दर लागू है।

मै. फॉरेन ट्रेड एजेन्सी तथा नौ अन्यो ने, सीमाशुल्क कमिश्नरी (रोधात्मक), पूर्वोत्तर क्षेत्र शिलांग के अन्तर्गत श्रीमन्तपुर तथा अगरतला भू सीमा शुल्क स्टेशनों के माध्यम से फरवरी 2007 तथा दिसम्बर 2008 के बीच बुने हुए वस्त्रों की पन्द्रह खेपें आयातित कीं तथा उन्हें पोलियस्टर/सिन्थैटिक स्टेपल फाइबर से निर्मित के रूप में घोषित किया। मूल्य 10 प्रतिशत की दर से मूल सीमाशुल्क निर्धारित किया। तदनुसार विभाग ने इस माल को सीटीएच 551211 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया तथा इस पर यथा मूल्य 10 प्रतिशत की दर से मूल सीमा शुल्क निर्धारित किया। तथापि, रासायनिक जांच रिपोर्टों से ज्ञात हुआ कि वस्त्र आयातकों द्वारा यथा घोषित स्टेपल फाइबर के न होकर सिन्थैटिक फिलामैन्ट यार्न से निर्मित थे। इसलिए, आयातित वस्त्र, सीटीएच 540769 के अन्तर्गत वर्गीकृत किए जाने थे। इस माल के गलत वर्गीकरण के कारण 2.41 करोड़ रुपये के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (फरवरी 2009), विभाग ने बताया (मार्च एवं जुलाई 2009) कि पैकिंग, लेबलिंग, स्थानीय बाजार में माल के प्रयोग के ज्ञान जैसे बाह्य घटकों पर ज्यादा विश्वास किया गया था। उसने आगे यह भी बताया कि माल 85 प्रतिशत या अधिक नकली फिलामैन्ट यार्न वाली अनडाईड सामग्री थी तथा इसीलिए, सीटीएच 551211 के अन्तर्गत आरम्भिक वर्गीकरण के बजाए सही रूप में सीटीएच 540821 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय थी तथा वर्गीकरण में परिवर्तन के फलस्वरूप विभेदीय शुल्क का उद्ग्रहण नहीं होगा क्योंकि दोनों टैरिफ शीर्षों के अन्तर्गत शुल्क दर समान थी। विभाग

ने आगे बताया कि रासायनिक जांच की रिपोर्टें केवल एजो-डाई परीक्षण¹ से सम्बद्ध थीं न कि वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एजो डाई परीक्षण तथा नमूनों के घटक निर्धारण करने के लिए वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त की गई रिपोर्टों ने इंगित किया था कि माल केवल पोलियस्टर/सिन्थैटिक फिलामैन्ट यार्न से निर्मित बुने हुए वस्त्र ही थे, न कि नकली फिलामैन्ट यार्न से बना जैसा कि चिपकाए गए लेबल जिस पर विभाग ने सीटीएच 540821 के अन्तर्गत वर्गीकृत करने के लिए विश्वास किया। यह भी स्पष्ट किया गया था कि माल आयात दस्तावेजों में आयातकों यथाघोषित द्वारा स्टेपल फाइबर नहीं था। अतः आयातित वस्त्र केवल सीटीएच 540769 के अन्तर्गत वर्गीकृत किए जाने योग्य हैं।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

5.2 सीकेडी अवस्था में मोबाइल फोन

अनुसूची की व्याख्या हेतु सामान्य नियमावली के नियम 2 (ए) के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के अनुसार, सैल्युलर फोनों के सभी हिस्सों/घटकों जो कि एक खेप में आयात किए गए हों को 'सम्पूर्ण मोबाइल हैंडसेट' के रूप में मानते हुए, सीटीएच 85171210 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं तथा उन पर चार प्रतिशत की दर से बिक्रीकर/वैट तथा एक प्रतिशत की दर पर राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा तथा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) के समान अतिरिक्त शुल्क उद्ग्राह्य है। यह स्थिति बोर्ड के दिनांक 11 जनवरी 2005 के परिपत्र सं. 1/2005 में दोहराई गई है। दिनांक 1 मार्च 2005 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 21/2005 के अन्तर्गत मोबाइल हैंडसेट के हिस्सों को, यदि आयातक सीमाशुल्क (उत्पादन शुल्क योग्य वस्तुओं के विनिर्माण हेतु माल के आयात पर छूट प्राप्त शुल्क दर) नियमावली, 1996 की पद्धति का अनुपालन करे तो मूल सीमाशुल्क (बीसीडी) तथा अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।

मै. आईसीओएमएम टेलि लि. ने 'आईएफडब्ल्यूटी फोन माडल एसीपी 1507 (सैल्युलर प्रौद्योगिकी पर काम करने वाले) के सभी पुर्जे' जैसे कि फ्रन्ट केस एसेम्बली, बैक केस एसेम्बली, मुख्य पीसीबी एसेम्बली तथा हैंडसेट एसेम्बली की 19 खेपों को 22.45 करोड़ रुपये की कुल लागत पर आयात किया (अप्रैल एवं मई 2008)। यह माल सीटीएच 85177090 के अन्तर्गत 'फोन के अन्य हिस्सों' के रूप में वर्गीकृत था तथा दिनांक 1 मार्च 2005 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 21/2005 के अन्तर्गत 'शून्य' शुल्क दर पर निर्धारित किया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा में विदित हुआ कि आयातित माल पूर्ण रूप से नॉकड डाऊ (सीकेडी) स्थिति में सेलफोन थे तथा "सेल्युलर

¹ एजो-डाई एक निषिद्ध डाई है जिसका वस्त्रों तथा कपड़ों में प्रयोग अनुमत नहीं है।

नेटवर्क्स अथा अन्य बेतार नेटवर्क हेतु टेलिफोन” के रूप में सीटीएच 85171210 के अन्तर्गत वर्गीकृत किए जाने योग्य थे तथा सीमाशुल्क के अतिरिक्त शुल्क एवं एक प्रतिशत यथा मूल्य की दर से एनसीसीडी हेतु निर्धारण योग्य थे। इस गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 1.14 करोड़ रुपये के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (सितम्बर तथा अक्टूबर 2008), विभाग ने बताया (मार्च 2009) कि ये पुर्जे दो या अधिक खेपों में आयात किए गए थे तथा फोन के रूप में प्रयोग के लिए एसेम्बली सोलड्रिंग तथा टेस्टिंग जैसी निर्माण क्रियाओं की आवश्यकता थी तथा इसलिए अनुसूची की व्याख्या का नियम 2(ए) लागू नहीं किया जा सकता था।

उत्तर निम्नलिखित कारणों से तर्कसंगत नहीं है:

➤ फ्रन्ट केस एसेम्बली, बैक केस एसेम्बली, मेन पीसीबी एसेम्बली, हैंडसेट एसेम्बली तथा एन्टिना जैसे सभी पुर्जे, सेटों में आयात किए गए थे ताकि टेलिफोनों की वांछित संख्या में पुर्जे जोड़े जा सकें।

➤ इस बात पर विचार करते हुए कि "टेलिफोन" खुले पुर्जों की स्थिति में "हिस्सों" में आयात किए जा रहे थे बोर्ड ने विभाग को इन्हें "पूरा मोबाइल हैंडसेट" के रूप में सीटीएच 85252017 के अन्तर्गत वर्गीकृत करने के निर्देश दिए थे।

➤ माल को टेलिफोन के रूप में उपयोग करने से पूर्व बताए गए कुछ कार्य जैसे कि एसेम्बल करना, सोलड्रिंग तथा परीक्षण भी और कुछ न होकर केवल सरल पुर्जों को जोड़ने की क्रियाएं मात्र थीं।

5.3 टेलिविजन रिसेवर के साथ उपयोग किए जाने वाले प्रकार के विडियो गेम्स

"टेलिविजन रिसेवर के साथ उपयोग किए जाने की किस्म वाले विडियो गेम्स" सीटीएच 9504 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं तथा इन पर समान शुल्क लगता है। तथापि, सीटीएच 8524 के अधीन वर्गीकरणीय रिकार्डेड आडियो/वीडियो सीडी/डीवीडी समान शुल्क से मुक्त हैं (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना 6/2006 दिनांक 1 मार्च 2006)। मै. हाई-टैक कम्प्यूटर्स बनाम सीमाशुल्क कमिश्नरी (2004 (174) ईएलटी 222 (बैंगलूर न्यायधिकरण) के मामले में विधायी रूप से यह निर्णय किया गया था कि विडियो गेम्स सीटीएच 9504 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं।

मै. रेडिंगटन (इंडिया) लि. चेन्नई ने चेन्नई (सागर) कमिश्नरी के माध्यम से "X बाक्स 360 के लिए डीवीडी/डीवीडी/सीडी विडियो गेम्स" की 27 खेपें आयात की (अगस्त 2006/मार्च/अक्टूबर 2008)। विभाग ने अगस्त 2006 में आयातित एक खेप को सीटीएच 8524 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया और इस माल पर योग्यता के आधार पर शुल्क निर्धारित किया। आयातक ने 77.63 लाख रुपये के शुल्क का भुगतान किया

(अगस्त 2006), परन्तु बाद में केउशु अधिसूचना सं. 6/2006 के अन्तर्गत छूट हेतु आवेदन किया। कमिश्नरी (अपील) ने एक पक्षीय आदेश (जुलाई 2007) में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना सं. 6/2006 (क्रमांक 22) दिनांक 1 मार्च 2006 के अन्तर्गत छूट अनुमत करते हुए प्रविष्टि बिल के पुनर्निर्धारण का आदेश दिया। बीई के पुनर्निर्धारण के पश्चात आयातक को 46.28 लाख रुपये के शुल्क का वापिस भुगतान कर दिया गया था। बाद के आयात (26 खेपें) विभाग ने सीटीएच 85234090 'अन्य विडियो सीडी' के अन्तर्गत वर्गीकृत किए तथा उपरोक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना के अन्तर्गत इन खेपों को समान शुल्क से मुक्त किया।

आयातित माल को सीटीएच 9504 के अन्तर्गत किए जाने की 2004 की विधिक घोषणा के बावजूद विभाग ने दो बार गलती की पहली इन्हें सीटीएच 8524 के अन्तर्गत वर्गीकृत करके तथा बाद में कमिश्नर (अपील) के समक्ष समुचित ढंग से विभाग का प्रतिनिधित्व न करके। विभाग की इन कार्रवाईयों के कारण 46.28 लाख रूपए (एक खेप) की गलत पुनः अदायगी तथा 27.64 लाख रूपये (26 खेपें) का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (फरवरी 2008 तथा अप्रैल 2009) विभाग ने यह कहते हुए कि कमिश्नर (अपील) ने इस माल को सीटीएच 8524 के अन्तर्गत वर्गीकृत करते हुए छूट के योग्य निर्धारित किया था पुनर्दायगी तथा बाद के आयातों के वर्गीकरण को उचित ठहराया।

विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इस माल का सीटीएच 9504 के अन्तर्गत वर्गीकरण 2004 में ही विधिक रूप से निर्धारित किया जा चुका था, जबकि अपील के मामले में बेंगलूरु न्यायाधिकरण के पूर्ववर्ती निर्णय पर विचार किए बिना ही एक पक्षीय निर्णय किया गया था।

मामले की सूचना मंत्रालय को दे दी गई थी (अक्टूबर 2009); उसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

5.4 लाञ्छील एल्कोहल/स्टीयरिक एसिड

सीटीएच 3823 के अनुसार, औद्योगिक मोनो कारबोक्सिलिक फैटी एसिड, परिशोधन से एसिड तेल तथा औद्योगिक फैटी एल्कोहल्स जैसे कि ओलेइक एसिड/स्टीयरिक एसिड/लाञ्छील एल्कोहल इत्यादि शीर्ष 3823 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं तथा यथासंशोधित अधिसूचना सं.21/2002 -सीशु दिनांक 1 मार्च 2002 के अनुसार उन पर सीमा शुल्क की रियायती दर उद्ग्रह्य है। अध्याय शीर्ष 38 के नीचे "नामावली की सुमेलित प्रणाली (एचएसएन) व्याख्यात्मक टिप्पणी के अनुसार 85 प्रतिशत या अधिक की शुद्धता वाला ओलेइक एसिड सीटीएच 2916 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है तथा 90 प्रतिशत या अधिक की शुद्धता वाले अन्य फैटी एसिड 2915, 2916 या 2918 के

अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं तथा उपरोक्त अधिसूचना (क्रमांक 553) के अन्तर्गत यथा मूल्य साढ़े सात प्रतिशत की दर पर रियायती बीसीडी के लिए उद्ग्राह्य हैं।

मै. हिन्दुस्तान यूनीलिवर लि. तथा अन्य 26 ने, जेएनसीएच कमिश्नरी मुम्बई के द्वारा नवम्बर 2007 तथा फरवरी 2009 के बीच लाञ्छित एल्कोहल {(फैटी एल्कोहल/ओलेइक एसिड/ स्टीयरिक एसिड (फैटी एसिडस के अलावा)} की 49 खेपें आयात कीं। लेखापरीक्षा संवीक्षा से विदित हुआ कि आयातित माल की शुद्धता का निर्धारण करने के लिए जांच के नमूनों का विश्लेषण किए बिना ही माल को सीटीएच 2905/2915 के अन्तर्गत वर्गीकृत कर दिया गया था और बीसीडी की रियायत दर पर निर्धारित कर दिया गया था क्योंकि सीटीएच 2915 के अन्तर्गत वर्गीकरण के योग्य होने के लिए इनका सत्व 90 प्रतिशत या अधिक होना चाहिए तथा तदनुसार ये बीसीडी की कम दर के योग्य होने चाहिए। जांच रिपोर्टों के अभाव में, ये सीटीएच 3823 के अन्तर्गत वर्गीकृत किए जाने थे तथा उद्ग्रहीत साढ़े सात प्रतिशत के बजाए 15 प्रतिशत की बीसीडी की दर से प्रभारित किए जाने थे। इससे 54.03 लाख रुपये के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (जून 2008 से सितम्बर 2009), विभाग ने चार खेपों के सम्बन्ध में 21.62 लाख टन की वसूली की सूचना दी (अगस्त से दिसम्बर 2008)। बाकी खेपों के बारे में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

मामले की सूचना मंत्रालय को अगस्त तथा अक्टूबर 2009 के बीच दी गई थी, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

5.5 सुगन्धदायक उत्पाद

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम (सीटीए), 1975 के अध्याय 44 के टिप्पण 1(ए) के अनुसार अन्धों के साथ-साथ प्रारम्भिक रूप में सुगन्धों में प्रयोग की जाने वाली चिप्पी, छीलन, पिंसी हुई, तलछट या चूर्ण के रूप में लकड़ी की कोई किस्म सीटीए, 1975 के अध्याय 44 के क्षेत्र से बाहर है तथा उक्त टैरिफ अधिनियम के टैरिफ शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है।

मै. जया परफ्यूमरी वर्क्स, कोलकाता तथा 28 अन्धों ने फरवरी 2007 तथा मार्च 2008 के बीच कोलकाता (पत्तन) तथा चेन्नई (सागर) कमिश्नरी के माध्यम से 'धूप बत्ती चूर्ण' (लिटसी वृक्ष की चूर्ण के रूप में छाल) की 146 खेपें आयात कीं। विभाग ने इस माल को अगरबत्ती (सुगन्धदायक उत्पाद) तथा अन्य सुवासित वस्तुएं, बुरादा, काष्ठ अपशिष्ट तथा कतरन के रूप में सीटीएच 3307/4401 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया। तथापि उपरोक्त अध्याय की टिप्पणी के अनुसार, आयातित माल 'अगरबत्ती' बनाने के लिए कच्ची सामग्री होने के कारण सही रूप में सीटीएच 1211 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय था। गलत वर्गीकरण के कारण 51.39 लाख रुपये के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (अक्टूबर 2007/मार्च 2008/मई 2009), चेन्नई कमिश्नरी ने 108 खेपों के लिए सांग सूचना ज्ञापन जारी किए (मई/जून 2009)। तथापि, कोलकाता कमिश्नरी ने सीटीएच 4401 के अन्तर्गत वर्गीकरण को यह कहते हुए उचित ठहराया (अप्रैल 2009) कि 'धूपबत्ती' चूर्ण की अपनी कोई सुगन्ध नहीं थी तथा इसीलिए इसको प्राथमिक रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सुगन्ध बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता था तथा यह सुगन्धदायक वर्तिका (अगरबत्ती) बनाने में एक बन्धनकारी तत्व के रूप में काम करता था। विभाग का ऐसा मानना इस तथ्य के कारण तर्कसंगत नहीं है कि धूपबत्ती का चूर्ण हालांकि स्वयं सुवासित नहीं होते हुए भी सुगन्धदायक वर्तिका के उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त हुआ था तथा इस प्रकार सीटीएच 1211 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय था।

मामले की सूचना मंत्रालय को अक्टूबर 2009 में दी गई थी, उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

5.6 कमीजें तथा अन्य वास्कटें

'कमीजें तथा अन्य वास्कटें' सीटीएच 610990 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं तथा 10 प्रतिशत की या 50 रूपए प्रति पीस जो भी अधिक हो की दर से बीसीडी हेतु उद्ग्राह्य हैं। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 19 (बी) के अनुसार कीमत के सन्दर्भ में शुल्क के प्रति देय वस्तुओं के सेट वाला माल, यदि वे वस्तुएं विभिन्न दरों पर शुल्क के प्रति देय हों तो ऐसी दरों की उच्चतम दर पर शुल्क हेतु प्रभारित किए जाने योग्य है।

सीमा शुल्क कमिश्नरी (रोधात्मक), पश्चिम बंगाल के अधीन भू सीमा शुल्क केन्द्र, चन्नाराबान्ध के माध्यम से मै. साहा इन्टरनेशनल द्वारा अप्रैल 2008 में विभिन्न वस्तुओं के सेट की 'छोटी पैन्ट-सिन्थैटिक' तथा 'कमीजें एवं अन्य वास्कटें' नामक खेप आयात की गई तथा क्रमशः सीटीएच 62046300 तथा 61079190 के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई तथा कमीजों तथा अन्य वास्कटें के लिए लागू दर पर शुल्क निर्धारित किया गया जबकि खेप 'कमीजों (सीटीएच 6109 के अन्तर्गत वर्गीकृत किए जाने योग्य)' की थी जिस पर ऊंरी दर का शुल्क लगना था। इसके परिणामस्वरूप 22.15 लाख रूपये के शुल्क का कम उद्ग्राहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (नवम्बर 2008), विभाग ने सूचित किया (मार्च 2009) कि राजस्व की सुरक्षा हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा था। आगे की गई प्रगति की सूचना नहीं दी गई है (जनवरी 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

5.7 प्लाज़मा टेलिविजन सेट

“प्लाज़मा टेलिविजन सेट” सीटीएच 85287390 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं तथा बीसीडी तथा सीवीडी हेतु निर्धारण योग्य हैं।

मै. पेनासोनिक सेल्स एण्ड सर्विस इंडिया ने 1.16 करोड़ रुपये मूल्य के 60 पेनासोनिक ब्रान्ड 65 इंच प्लाज़मा मॉनीटर (मॉडल टीएच-65 पीएफ 10 डब्ल्यू के) चेन्नई (सागर) कमिश्नरी के माध्यम से आयात किए (जुलाई 2008 से नवम्बर 2008)। विभाग ने माल को “सीटीएच 8471 के अन्तर्गत ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रयुक्त अन्य मॉनिटरों” के रूप में सीटीएच 85285100 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया तथा इन्हें दिनांक 1 मार्च 2005 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 24/2005 के क्रमांक 17 के अन्तर्गत बीसीडी के उद्ग्रहण से छूट दी।

तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि आयातित माल “पेनासोनिक ब्रान्ड 65 इंच” प्लाज़मा मॉनीटर (मॉडल टीएच-65 पीएफ 10 डब्ल्यूके) में ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम में प्रयुक्त मॉनीटर न होकर वास्तव में एक प्लाज़मा टेलिविजन सेट था। तदनुसार आयातित माल सीटीएच 85287390 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय तथा 10 प्रतिशत की बीसीडी के लिए निर्धारण योग्य था। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 20.44 लाख रुपये की बीसीडी की गलत छूट प्रदान की गई।

मामला बताए जाने पर (दिसम्बर 2008), विभाग ने सूचना दी (अप्रैल 2009) कि आयातित माल टेलिविजन सेट न होकर मॉनिटर्स थे। विभाग का उत्तर तथ्यात्मक नहीं है क्योंकि उत्पाद कोड “पेनासोनिक मॉडल टीएच-65पीएफ10डब्ल्यूके” को कम्पनी की वेबसाइट पर प्लाज़मा टीवी के रूप में भी वर्णित/विज्ञापित किया गया है। इसके साथ-साथ, विभाग ने प्रश्नाधीन माल मॉनिटर्स थे इस दावे की प्रमाणिकता के लिए कोई सूची पत्र अथवा लिखित तकनीकी विवरण प्रेषित नहीं किया था।

मामले की सूचना मंत्रालय को दी गई थी, (अक्टूबर 2009); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

5.8 नलीदार वातानुकूलक

“स्वयं अन्तर्विष्ट” अथवा “विभक्त प्रणाली” के खिड़की व दीवार वाले वातानुकूलक सीटीएच 841510 के अन्तर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं तथा बीसीडी तथा सीवीडी के लिए निर्धारण योग्य हैं। उपशीर्ष 841510 की एचएसएन व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अनुसार मुख्य वातानुकूलन प्रणालियां जो एक वाष्पक से शीतल वायु को विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें ठंडा करने के लिए ले जाने के लिए नलियों को उपयोग करती हैं इस उपशीर्ष में शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, दिनांक 31 अगस्त 2004 की सीमा शुल्क

अधिसूचना सं. 85/2004 के साथ लगी सूची के क्रमांक 49 के अनुसार सीटीएच 841510 के अधीन थाइलैन्ड मूल का सारा माल बीसीडी के उद्ग्रहण से मुक्त है।

मै. ईटीए जनरल प्रा. लि. ने चेन्नई (सागर) कमिश्नरी के माध्यम से 1.46 करोड़ रुपये मूल्य के थाइलैन्ड मूल के "नलीदार वातानुकूलक" 13 खेपों में आयात किए (जून 2007 से अगस्त 2008)। इस माल को सीटीएच 84151090 के अन्तर्गत "अन्य वातानुकूलकों" के रूप में वर्गीकृत तथा उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत बीसीडी की "शून्य" दर पर निर्धारित किया गया था। हालांकि उपरोक्त एचएसएन टिप्पण के अनुसार "नलीदार वातानुकूलक" सीटीएच 841510 के अन्तर्गत शामिल नहीं थे। गलत वर्गीकरण तथा गलत छूट दिए जाने के परिणामस्वरूप 17.49 लाख रुपये के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (मई, अगस्त तथा अक्टूबर 2008), विभाग ने स्वीकार किया (जुलाई 2009) कि एचएसएन की व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अनुसार अधिसूचना सं. 85/2004 का लाभ नलीदार वातानुकूलकों को नहीं दिया जा सकता था। विभाग ने आगे बताया कि 30 जून 2009 को हुई जन सुनवाई के दौरान आयातक ने दोहराया कि नलीदार वातानुकूलक विभक्त वातानुकूलक भी थे। आयातक का अभिमत जांचाधीन था। आगे की प्रगति की सूचना नहीं दी गई है (जनवरी 2010)।

मामले की सूचना मंत्रालय को दी गई थी (अक्टूबर 2009); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

5.9 चूना पत्थर का पाऊँर

दिनांक 1 मार्च 2002 की सीमा शुल्क अधिसूचना 21/2002 के क्रमांक 552 के अनुसार "चूना पत्थर का पाऊँर होनकाल 1टी, 2टी, 7टी" (कैल्शियम कार्बोनेट) सीटीएच 28365000 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है तथा बीसीडी तथा सीवीडी की रियायती दर से उद्ग्राह्य है।

"सीमेन्ट के विनिर्माण हेतु प्रयुक्त चूना पत्थर या चूना" सीटीएच 25210090 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं तथा उन पर उपरोक्त सीमा शुल्क अधिसूचना के क्रमांक 517 के अन्तर्गत 5 प्रतिशत पर बीसीडी तथा सीवीडी की "शून्य" दर पर निर्धार्य हैं।

मै. माइक्रो कार्बोनेट प्रा. लि. तथा सात अन्यो ने चेन्नई (सागर) कमिश्नरी के माध्यम से 84.85 लाख रुपये मूल्य के "चूना पत्थर पाऊँर होनकाल 1टी, 2टी, 7टी (कैल्शियम कार्बोनेट)" की 31 खेपें आयात की (फरवरी से सितम्बर 2008)। विभाग ने इस माल को सीटीएच 25210090 के अन्तर्गत "सीमेन्ट के निर्माण में प्रयुक्त अन्य चूना पत्थर या चूने" के रूप में वर्गीकृत तथा उपरोक्त सीमा शुल्क अधिसूचना के क्रमांक 517 के अधीन लाभ प्रदान करते हुए रियायती दर पर बीसीडी हेतु निर्धारित किया तथा सीवीडी से छूट प्रदान की। लेखापरीक्षा संवीक्षा से विदित हुआ, कि विभाग ने इन्हीं आयातों को (दिनांक 13 मई 2008 की बीई 738948 तथा दिनांक 19 मई 2008 की बीई सं.

744105) सीटीएच 28365000 के अन्तर्गत निर्धारित किया था। इस प्रकार गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 16.32 लाख रुपये के शुल्क का उदग्रहण कम हुआ था।

इसे बताए जाने पर (अगस्त/नवम्बर 2008), विभाग ने 19 खेपों के बारे में अभ्युक्ति को प्रथम दृष्टया स्वीकार करते हुए बताया (दिसम्बर 2008) कि कोई नमूना नहीं लिया गया था क्योंकि इन बिलों के लिए कोई जांच निर्धारित नहीं की गई थी। फिर भी, विभाग ने आयातकों को सुरक्षात्मक मांग सूचना पत्र जारी कर दिए थे। बाकी 12 खेपों के सम्बन्ध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (जनवरी 2010)।

मामले की सूचना मंत्रालय को दी गई थी (सितम्बर 2009); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

5.10 हीलियम लीक टेस्टिंग मशीन-टिवन चैम्बर

बहाव स्तर, दबाव या तरलों अथवा गैसों के अन्य परिवर्तनों को मापने या जांचने के लिए उपस्कर तथा उपकरण (अर्थात् बहाव एमटीर्स, स्तर गेज़, मेनोएमटीर, ताप एमटीर्स इत्यादि) सीटीएच 9026 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है तथा दिनांक 1 मार्च 2005 की सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 24/05 के अन्तर्गत उन्हें बीसीडी से छूट प्राप्त है। अध्याय में और कहीं विनिर्दिष्ट न किए गए अन्य माप अथवा जांच उपकरण, यन्त्र एवं मशीनें सीटीएच 9031 के अंतर्गत वर्गीकरणीय हैं तथा उन पर साढ़े सात प्रतिशत की दर से बीसीडी प्रभार्य है।

मै. टाटा टोयो रेडिएटर लि. द्वारा जेएनसीएच, मुम्बई कमिश्नरी के माध्यम से आयातित (जनवरी 2008) दो "प्रतिप्राप्ति प्रणाली सहित दोहरे कक्षों वाली हीलियम रिसाव जांच मशीनें" सीटीएच 9026 8090 के अन्तर्गत वर्गीकृत की गई तथा उन्हें बीसीडी से छूट प्रदान की गई। क्योंकि आयातित मशीनें बहाव एमटीर, स्तर गेज़, मेनोएमटीर या एक ताप एमटीर न होकर एक जांच मशीन थी, इसे सही रूप से सीटीएच 90318090 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए था तथा इस प्रकार ये छूट की पात्र नहीं थी। गलत वर्गीकरण तथा गलत छूट प्रदान किए जाने के परिणामस्वरूप 16.05 लाख रुपये के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (जून 2008), विभाग ने आयातक के प्रति 16.05 लाख रुपये की मांग की पुष्टि की (मार्च 2009)। आगे की प्रगति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (जनवरी 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

5.11 अन्य मामले

78.02 लाख रुपये के शुल्क के कम उदग्रहण वाले आठ अन्य मामलों में, विभाग ने छः मामलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया था (जनवरी 2010 तक) तथा तीन मामलों में 15.84 लाख रुपये की वसूली की सूचना दी थी।

अध्याय VI अतिरिक्त शुल्क का अनुदग्रहण/कम उदग्रहण

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अनुसार कोई वस्तु, जो भारत में आयात की जाती है, वह भारत में उत्पादित उसी वस्तु पर उस समय उदग्रह्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बराबर अतिरिक्त शुल्क को भी दायी होगी।

52 आयातकों द्वारा आयातित माल की नमूना जांच में देखे गए कुल 2.52 करोड़ रूपए के अतिरिक्त शुल्क के अनुदग्रहण/कम उदग्रहण के कुछ मामलों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है। ये आपत्तियां आठ ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को सूचित की गई थीं। मंत्रालय/विभाग ने 1.77 करोड़ रूपए के राजस्व वाले पांच मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली थीं (जनवरी 2010 तक) जिसमें से 1.05 करोड़ रूपए वसूल कर लिए गए थे।

6.1 अतिरिक्त शुल्क की गलत छूट

अधिसूचना संख्या 19/2006 दिनांक 1 मार्च 2006 के अन्तर्गत सभी आयातित वस्तुओं के मूल्य के 4 प्रतिशत की दर पर मूल्य वर्धित कर (वैट) सहित सभी राज्य करों के बराबर अतिरिक्त सीमाशुल्क, टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3(5) के अधीन लगाया गया था। सीमाशुल्क टैरिफ में "निःशुल्क" अथवा "शून्य" दरों से निर्दिष्ट तथा अधिसूचना संख्या 6/2006 केउशु. दिनांक 1 मार्च 2006 के अन्तर्गत अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट पर प्राप्त माल सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (अधिसूचना संख्या 20/2006 सीशु दिनांक 1 मार्च 2006) की धारा 3 (5) के अन्तर्गत इस प्रकार का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता।

6.1.1 वस्त्र, कपड़े, छपी प्लेटें, टीक लकड़ी लटटे, रद्दी कागज तथा चावल संसाधन/पेषण मशीनरी

अधिसूचना संख्या 20/2006 सीशु के अन्तर्गत अतिरिक्त शुल्क से छूट उन वस्तुओं पर लागू नहीं है जो अधिसूचना 26/2000 सीशु दिनांक 1 मार्च 2000, 85/2004 सीशु दिनांक 31 अगस्त 2004 तथा 2/2007 दिनांक 5 जनवरी 2007 के अन्तर्गत सम्पूर्ण सीमाशुल्क से मुक्त हैं।

मैं. जौडियाक क्लोथिंग कम्पनी लिमि. तथा सत्ताईस अन्य ने चेन्नई (समुद्र) कमिश्नरी के माध्यम से 6.65 करोड़ रूपए के कुल मूल्य से विभिन्न वस्तुओं नामतः "वस्त्रों, विभिन्न प्रकार के कपड़ों, छपी प्लेटों, प्लेन पार्टीकल बोर्ड, कन्वेयर सिस्टम, गामा लिनोलेनिक एसिड, टीक लकड़ी लटटों, रद्दी कागजों (श्रीलंका मूल), मार्गरीन, तथा चावल संसाधन/पेषण मशीनरी के 69 परेषणों का आयात किया (जनवरी 2008 से फरवरी 2009)। विभाग ने इन वस्तुओं को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 (5)

के अन्तर्गत उदग्राह्य अतिरिक्त सीमा शुल्क के उदग्रहण से मुक्त कर दिया। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ये वस्तुएं छूट अनुमत करने की पात्र नहीं थीं क्योंकि उपशीर्ष, जिनके अन्तर्गत ये वस्तुएं वर्गीकृत की गई थीं, छूट अधिसूचना संख्या 20/2000 सीशु में शामिल नहीं थी अथवा छूटें गलत रूप से अनुमत की गई थीं क्योंकि ये सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 26/2000 या संख्या 85/2004 या संख्या 2/2007 के अन्तर्गत आती थीं। इसके परिणामस्वरूप 30.22 लाख रूपए के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (जून/अक्टूबर 2008, जनवरी/ मार्च 2009) विभाग ने 12 आगम पत्रों के संबंध में 0.28 लाख रूपए के ब्याज सहित 5.13 लाख रूपए की वसूली सूचित की (अगस्त 2008, जनवरी/अप्रैल 2009)। शेष मामलों पर आगे की प्रगति सूचित नहीं की गई है (जनवरी 2010)।

मंत्रालय का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

6.1.2 विनिर्मित कट रग तम्बाकू, हाइड्रोजन परोक्साइड, काटन निटेड फेब्रिक तथा एक्रीलिक-पालिएस्टर हाई पाइल निटेड फेब्रिक

अधिसूचना संख्या 20/2006 सीशु से संलग्न तालिका की क्रम संख्या 50, उन वस्तुओं को छूट देती है जो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत शुल्क को प्रभार्य हैं।

मै.बोमीडाला एन्टरप्राइजेज प्रा. लिमिटेड तथा चार अन्य ने चेन्नई (समुद्र) कमिश्नरी के माध्यम से 1.86 करोड़ रूपए के कुल मूल्य के "विनिर्मित कट रग तम्बाकू, सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष (सीटीएच) 2403", हाइड्रोजन परोक्साइड (सीटीएच 2847), पालिएस्टर पोलर फ्लीक फेब्रिक तथा एक्रीलिक-पालिएस्टर हाई पाइल निटेड फेब्रिक के 15 परेषणों का आयात किया (फरवरी 2008 से नवम्बर 2008)। आयातित वस्तुओं की उपर्युक्त छूट अधिसूचना (क्रम संख्या 50 तथा 1) के अन्तर्गत अतिरिक्त सीमा शुल्क की "शून्य" दर पर निकासी की गई थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ये वस्तुएं निम्नलिखित कारणों से छूट की अनुमति की पात्र नहीं थीं :-

(i) 42.06 लाख रूपए मूल्य के "विनिर्मित कट रग तम्बाकू" (सीटीएच 2403) के मामले में छूट, उपर्युक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 50 के अन्तर्गत अनुमत की गई थीं (शुल्क 4.11 लाख रूपए), यद्यपि ये वस्तुएं 1 अप्रैल 2007 से अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम 1957 की पहली अनुसूची में उल्लिखित विशिष्ट वस्तुओं की सूची से निकाल दी गई थी।

(ii) 1.44 करोड़ रूपए मूल्य की शेष वस्तुएं, जिनकी टारगेट प्लस स्कीम (टीपीएस) के अन्तर्गत निकासी की गई थी, उपर्युक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 1 के अन्तर्गत मुक्त की गई थीं (शुल्क 8.67 लाख रूपए), यद्यपि टीपीएस के अंतर्गत निकासी अधिसूचना संख्या 20/2006 सीशु दिनांक 1 मार्च 2006 की क्रम संख्या 1 के अन्तर्गत नहीं आती है।

इसलिए दी गई 12.78 लाख रूपए की कुल गलत छूट ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

इसे बताए जाने पर (अगस्त 2008 तथा जनवरी 2009) विभाग ने सूचित किया (दिसम्बर 2008) कि "विनिर्मित कट रग तम्बाकू" शीर्ष 24039970 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं और ये अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम 1957 के अन्तर्गत आती हैं और इसलिए छूट की अनुमति सही थी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सीटीएच 2401, 2402, 2403 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम 2007 {वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना संख्या 1/2007 सीएसटी दिनांक 29 मार्च 2007} द्वारा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम 1957 की पहली अनुसूची से निकाल दी गई थीं। शेष परेषणों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

इसे अक्टूबर 2009 में मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

6.1.3 हाई स्पीड डीजल (एचएसडी)

हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) सीटीएच 27101930 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है और अधिसूचना संख्या 21/2002 सीशु दिनांक 1 मार्च 2002 (क्रम संख्या 214) पेट्रोलियम प्रचालनों के संबंध में आयातित वस्तुओं को मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) तथा अतिरिक्त सीमा शुल्क (सीवीडी) के उदग्रहण से छूट देती है। वित्त अधिनियम 1999 की धारा 116 के अन्तर्गत 2 रूपए प्रति लिटर की दर पर अतिरिक्त सीमा शुल्क उदग्रहण था। केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (बोर्ड) ने अपने परिपत्र संख्या 305/148/2004 एफटीटी दिनांक 11 अक्टूबर 2004 में स्पष्ट किया था कि वित्त अधिनियम 1999 की धारा 116 के अन्तर्गत लगाए गए अतिरिक्त सीमा शुल्क का न तो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम (सीटीए) 1975 की पहली अनुसूची में विशेष उल्लेख किया गया है और न ही सीटीए 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत उदग्रहण है। तदनुसार एचएसडी तेल पर 2 रूपए प्रति लिटर की दर पर अतिरिक्त सीमा शुल्क उदग्रहण था।

मै. नेशनल पेट्रोलियम कंस्ट्रक्शन कम्पनी तथा एक अन्य आयातक ने जामनगर कमिश्नरी के अन्तर्गत गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड (जीपीपीएल) पीपावाव सीमाशुल्क गृह के माध्यम से तेल खोज कार्यकलापों के लिए मेरीन गैस आयल(एमजीओ) तथा अन्य पूंजीगत मशीनरी के छः परेषणों का आयात किया (जनवरी/अप्रैल 2008)। विभाग ने 'एमजीओ' को सीटीएच 27101930 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया और अतिरिक्त शुल्क के उदग्रहण से इसे मुक्त किया, इसप्रकार सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 21/2002 का लाभ अनुमत करना अक्टूबर 2004 के उपर्युक्त बोर्ड परिपत्र का उल्लंघन है। इसके परिणामस्वरूप 62.54 लाख रूपए के अतिरिक्त शुल्क/ शिक्षा उपकर का अनुदग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (जुलाई/अगस्त 2008) विभाग ने बताया (जुलाई/अगस्त/अक्टूबर 2008) कि एमजीओ "बीआईएस: 1460: 2000" के अन्तर्गत भिन्न विनिर्देशन वाला अपशिष्ट ईंधनों में से एक है और जलयानों में प्रयोग किया जाता है जबकि एचएसडी "आईएस: 1460: 2005" के अन्तर्गत भिन्न विनिर्देशनों वाला मोटर डीजल ईंधन है। तदनुसार वित्त अधिनियम 1999 के अन्तर्गत आयातित एमजीओ पर अतिरिक्त शुल्क उदग्रहण नहीं है। विभाग ने आगे बताया कि अतिरिक्त शुल्क अधिसूचना संख्या 21/2002- सीशु के अन्तर्गत मुक्त था क्योंकि सीमाशुल्क अधिनियम तथा नियमों और प्रतिदाय/छूटों सहित उनके अन्तर्गत बनाए गए विनियमों के प्रावधान अतिरिक्त शुल्क के उदग्रहण के संबंध में भी लागू होने चाहिए जैसाकि वित्त अधिनियम 1999 की धारा 116 की उपधारा 3 के अन्तर्गत निर्धारित किया गया है। तथापि विभाग ने बचाव मांग के रूप में 62.54 लाख रूपए के तीन कारण बताओ नोटिस जारी किए (जुलाई 2008)।

विभाग का उत्तर निम्नलिखित कारणों से मान्य नहीं है:

- बोर्ड का दिनांक 11 अक्टूबर 2004 का स्पष्टकारी पत्र सुस्पष्टरूप से उल्लेख करता है कि वित्त अधिनियम 1999 की धारा 116 के अन्तर्गत उदग्रहण अतिरिक्त शुल्क का न तो सीटीए, 1975 की पहली अनुसूची के अन्तर्गत विशेष उल्लेख किया गया और न ही सीटीए, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत उदग्रहण था।
- आयातित मद यद्यपि बीईएस में एमजीओ के रूप में उल्लिखित है परन्तु सीटीएच 27101930 के अन्तर्गत निर्धारित की गई थी जो सीमाशुल्क टैरिफ में एचएसडी मद की प्रविष्टि के सदृश होता है।
- इसके अलावा विभाग ने बीई संख्या 03/08-09 दिनांक 4 अप्रैल 2008 तथा बीई संख्या 25/08-09 दिनांक 10 मई 2008 में अन्य आयातक द्वारा किए गए समान आयातों के दो अन्य मामलों में अतिरिक्त शुल्क का उदग्रहण किया था।

मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था (अगस्त 2009), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

6.2 निर्धार्य मूल्य की गलत संगणना के कारण अतिरिक्त शुल्क का कम उदग्रहण

6.2.1 सीटीए 1975 की धारा 3(2) के परन्तुक के अनुसार आयातित वस्तुओं, जिनके लिए मानक भार तथा माप अधिनियम 1976 के प्रावधान लागू होते हैं, के मामले में सीवीडी की संगणना के प्रयोजन हेतु लिया जाने वाला मूल्य छूट की राशि घटाकर घोषित खुदरा विक्रय मूल्य (आरएसपी) है। अधिसूचना संख्या 14/2008-केउशु (एनटी) दिनांक 1 मार्च 2008 विभिन्न वस्तुओं पर आरएसपी की प्रतिशतता के रूप में छूट की दर का विशेष उल्लेख करती है।

विशाखापत्तनम में 25/26 मार्च 2003 को मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि शुल्क आरएसपी की अपेक्षा कर लेन देन मूल्य के आधार पर उदग्रहीत किया जाए, जहाँ कहीं यह साक्ष्य है कि आरएसपी की जानबूझकर गलत घोषणा की गई है।

मै. हैवलेट पैकार्ड इण्डिया सेल्स प्रा. लिमि. ने 3.74 करोड़ रूपए के कुल निर्धार्य मूल्य के दो परेषणों में चेन्नई हवाई अड्डे के माध्यम से 200 'कम्पाक प्रेसैरिऑस नोट बुक' का आयात किया (जुलाई 2008) और 21.37 लाख रूपए के शुल्क का भुगतान कर उनकी निकासी की। आयातक ने अतिरिक्त शुल्क के निर्धारण के प्रयोजन हेतु 32,274 रूपए प्रति 'नोट बुक' आरएसपी घोषित किया। तथापि लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि इस दर पर आयातित वस्तुओं का कुल बिक्री मूल्य 3.95 करोड़ रूपए की आयात लागत के प्रति 64.55 लाख रूपए होगा।

इस प्रकार यह स्पष्ट था कि घोषित आरएसपी वास्तविक लागत से काफी कम थी और इसलिए मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क सम्मेलन में लिया गया उपर्युक्त निर्णय लागू होता था। इसप्रकार आयातक द्वारा सुविचारित गलत घोषित मूल्य के प्रति सामान्य लेन देन मूल्य न अपनाने के परिणामस्वरूप 41.59 लाख रूपए के शुल्क का कम संग्रहण हुआ।


इसे बताए जाने पर (दिसम्बर 2008) विभाग ने यह स्वीकार करते हुए कि घोषित आरएसपी लेन-देन मूल्य की अपेक्षा कम थी, बताया (फरवरी 2009) कि एक मांग नोटिस जारी किया गया था (फरवरी 2009)। आगे की प्रगति सूचित नहीं की गई है (जनवरी 2010)।

इसे मंत्रालय को सूचित किया गया था (सितम्बर 2009), उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2010)।

6.3 अन्य मामले


1.05 करोड़ रूपए के अतिरिक्त शुल्क के अनुदग्रहण/कम उदग्रहण के तीन अन्य मामलों में विभाग ने 1.05 करोड़ रूपए के समस्त कम उदग्रहण को स्वीकार कर लिया था (जनवरी 2010 तक) और 99.40 लाख रूपए वसूल कर लिए थे।

नई दिल्ली
दिनांक: 26-02-2010


(सुबीर मल्लिक)
प्रधान निदेशक (अप्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 02-03-2010


(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक